सामाजिक सुरक्षा पेंशन (NSAP) प्रशिक्षण मॉड्यूल

By

LibTech India

शब्दकोष

ABPS	आधार आधारित भुगतान प्रणाली
ADSS	सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा
AJJPY	आदिम जनजाति पेंशन योजना
BC	बैंकिंग संवाददाता
BDO	खंड विकास अधिकारी
BPL	गरीबी रेखा से नीचे
CMO	मुख्य मंत्री कार्यालय
CO	अनुमंडल पदाधिकारी
CSC	ग्राहक सेवा केन्द्र
CSP	ग्राहक सेवा केन्द्र
CSS	केंद्र प्रायोजित योजना
IGNOAPS	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
IGNDPS	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
IGNWPS	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
MoRD	ग्रामीण विकास मंत्रालय
NEFT	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर
NIC	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
NSAP	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
NOAPS	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाएँ
NPCI	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
NFBS	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

NMBS	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना
PFMS	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
PVTG	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, आदिम जनजाति
RTGSA	सेवा की गारंटी का अधिकार अधिनियम
SDO	उपखण्ड अधिकारी
SNA	एकल नोडल खाता
SSS	राज्य प्रायोजित योजना
SSSOAPS	राज्य सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना
SVNSPY	स्वामी विवेकानन्द निशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना
RVSPY	राज्य विद्वा सम्मान पेंशन योजना
UIDAI	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UDID	अद्वितीय विकलांगता पहचान पत्र

Table of Contents

Sl. no.	Chapters	Page no.
1	अध्याय 1- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का परिचय	6
1.1	**NSAP** के तहत केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं की परिसीमन	8
1.2	झारखंड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	8
1.3	विभिन्न पेंशन योजनाओं की पात्रता	11
2	अध्याय 2- सामाजिक सुरक्षा पेंशन जीवन चक्र	14
2.1	हितधारकों की जिम्मेदारियाँ - 5 स्टेज	15
2.2	पेंशन **MIS** पर कैसे जांच करें: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम **(NSAP-PPS)**	21
2.2.1	राज्य, जिला और ब्लॉक अवलोकन	23
2.2.2	यदि आवेदन संख्या ज्ञात हो तो नए आवेदन की स्थिति की जाँच करना	26
2.2.3	यदि आवेदन संख्या ज्ञात हो तो नए आवेदन की स्थिति की जाँच करना	27
2.2.3.1	यदि पेंशन आईडी (सेंकशन आइडी) पता हो: पेंशन भुगतान विवरण	27
2.2.3.2	यदि पेंशन आईडी ज्ञात नहीं है	28
2.2.4	पंचायत-स्तरीय विस्तृत पेंशनधारकों की सूची और बंद किए गए पेंशन धारीयों का विवरण	31
3	अध्याय 3: भुगतान प्रक्रिया	34
3.1	सफल पेमेंट के लिए चेकलिस्ट	36
3.2	**ABP mode/** आधार भुगतान के लिए चेकलिस्ट	36
4	अध्याय 4: पेंशन प्रक्रिया में विभिन्न समस्या के समाधान	38
4.1	प्री-रजिस्ट्रेशन के मुद्दे और समाधान - पेंशन सैंक्शन होने से पहले वंचित होने पर	38
4.1.1	आधार के संबंध में मुद्दे	44
4.2	पोस्ट-रजिस्ट्रेशन के मुद्दे और समाधान - पेंशन सैंक्शन होने के बाद के मुद्दे	47
4.2.1	विलोपित **(DISCONTINUED)** पेंशन	47

4.2.2	गलती से मृत्यु घोषित करने पर	**49**
4.3	अगर किसी का पेंशन बंद हुआ है तो उसको **MIS** पर कैसे देखे?	**53**
5	अध्याय **5:** शिकायत निवारण	**56**
5.1	झारखंड राज्य सेवाओं की गारंटी कानून, **2011**	**56**
5.2	**CPGRAMS** को नेविगेट कैसे करें? और शिकायत कैसे दर्ज करें?	**59**

Figures

Sl. no.	Figure	Page no.
1.1	**NSAP** में हुए बदलाव	**6**
1.2	झारखंड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के प्रकार	**9**
1.3	सामाजिक सुरक्षा पेंशन के प्रकार और राशि	**9**
1.4	आवेदन के लिए प्रमाण पत्र	**12**
1.5	आवेदन प्रक्रिया	**19**
2.1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन जीवन चक्र- **5** चरण	**14**
3.1	आधार सीडिंग	**35**
3.2	पेंशन की भुगतान प्रक्रिया	**35**
3.3	पेंशन रिजेक्ट और उसके समाधान की प्रक्रिया	**37**
4.1	पूर्व-पंजीकरण बहिष्करण **(Exclusions)-** सामान्य अवलोकन	**38**
4.2	पंजीकरण के बाद बहिष्करण **(Exclusion)** के मुद्दे	**46**
5.1	**CPGRAMS** में शिकायत की जीवनशेलि	**58**

Tables

Sl. no.	Table	Page no.
1.1	विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए राज्य और केंद्र का हिस्सा	**10**
1.2	झारखंड में योजनावार पेंशनधारियों की कुल संख्या	**10**
1.3	अपात्र मापदंड	**11**
1.4	विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति	**13**
3.1	झारखंड में पेंशनधारियों के आधार लिंकिंग की स्थिति	**34**
4.1	पंजीकरण से पहले और बाद में होने वाले बहिष्करण **(Exclusion)** और उनके समाधान	**50**
5.1	गारंटी कानून में सामाजिक सुरक्षा पेंशन संबंधी सेवाएँ	**56**

अध्याय 1 - सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का परिचय

भारत सरकार ने बुनियादी तौर से वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में **15** अगस्त, **1995** को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) शुरू किया| लॉन्च के समय एनएसएपी (NSAP) ने प्रमुख घटकों को कवर किया:

क) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाएँ (एनओएपीएस- **NOAPS)**
बी) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस- **NFBS)**
ग) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एनएमबीएस- **NMBS)**

NSAP में हुए बड़े बदलाव

2000
अन्नपूर्णा योजना लागू हुई (जो लोग एनओएपीएस के लिए पात्र थे लेकिन कवर नहीं हो सके उन्हें 10 किलो अनाज मुफ्त में दिया गया)

2001
राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का परिवार कल्याण विभाग को स्थानांतरण

2002-03
अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य योजना में स्थानांतरण

2007
सभी पात्र बीपीएल व्यक्तियों को कवर किया गया

2007
NOAPS का नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कर दिया गया

2009
IGNWPS(40-64 वर्ष) और IGNDPS (18-64 वर्ष) का परिचय

2014
ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) में पुनः परिवर्तन

2021
झारखंड में सर्वजन पेंशन योजना लागू हुआ

1.1 NSAP के तहत केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं की परिसीमन

1. कोटा: केंद्र से राज्य सरकार को सहायता, राज्य की बीपीएल आबादी के आधार पर तय की जाती है। अंतिम बीपीएल जनगणना 2007 में आयोजित की गई थी। लाभार्थियों की संख्या की गणना करने के लिए, जनसंख्या जनगणना 2011 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस का प्रयोग अभी भी कोटा की गणना करने में किया जाता है। इस कारण, कोटा कई लोगों को छोड़ देता है जो पेंशन के लिए पात्र हैं।

2. एनएसएपी (NSAP) पेंशन योजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन की राशि रु. 200/- है जो 2007 के बाद से संशोधित नहीं किया गया है।

3. एनएसएपी राज्य सरकार से अधिक संख्या में पात्र लाभार्थियों को कवर करने और कम से कम केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के बराबर अतिरिक्त राशि देने का आग्रह करता है।

विभिन्न राज्य सरकारों ने तब से राज्य के खजाने से बजट समर्थन के साथ अपनी स्वयं की पेंशन योजनाएं शुरू की हैं।

1.2 झारखंड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

झारखंड सरकार ने 2021 में दो वंचित मानदंडों (exclusion criteria) के साथ एक सार्वजनिक पेंशन योजना शुरू की: यदि लाभार्थी या परिवार का तत्काल सदस्य आयकर दाता है या यदि लाभार्थी या परिवार का सदस्य राज्य, केंद्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का स्थायी कर्मचारी है। सर्वजन कवरेज के तहत अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को कवर करने के लिए, सीएमओ द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं: "जब तक सर्वजन पेंशन की अवधारणा अन्य योजनाओं जैसे राशन कार्ड आदि या पूर्व निर्धारित लक्ष्य से जुड़ी हुई है, तब तक यह वह अवधारणा पूरी होती नहीं दिखती"

उपरोक्त निर्देश के आलोक में राज्य की योजनाओं के अंतर्गत पात्रता मानदंड का सरलीकरण किया गया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अधिकतम पात्र नागरिकों को लाभ मिले, इसलिए राज्य की योजनाओं को पूर्व निर्धारित लक्ष्य से नहीं बांधा गया है। सर्वजन पेंशन योजना के साथ, झारखंड सरकार का लक्ष्य NSAP में कोटा के कारण छूटे हुए पात्रों को उनका हक़ दिलवाना है ।

24 जनवरी **2024** को कैबिनेट बैठक में सीएमओ ने राज्य की वृद्धावस्था पेंशन की सीमा **60** वर्ष से घटाकर **50** वर्ष करने की घोषणा की. यह बदलाव सिर्फ झारखंड में रहने वाली महिलाओं और एसटी/एससी पुरुषों के लिए किया गया है. इसके चलते मार्च महीने में करीब **2 लाख** आवेदन में बढ़ोतरी हुई|

Fig 1.2: झारखंड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के प्रकार

	Centre Scheme	State Scheme
OLD AGE	Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS)	State Social Security Old Age Pension Scheme (SSSOAPS)
DISABILITY	Indira Gandhi Disability Pension Scheme (IGNDPS)	Swami Vivekanand Nihshakt Swavlamban Protsahan Yojana (SVNSPY)
WIDOW/NIRASHRIT MAHILA	Indira gandhi Widow Pension Scheme (IGNWPS)	Nirashrit mahila: Abandoned, single women & Widow (RVSPY)
PVTG	-	Adim Janjati Pension Yojana (AJJPY)

Fig 1.3: सामाजिक सुरक्षा पेंशन के प्रकार और राशि

Source: CAG Report 2023

Table 1.1: विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए राज्य और केंद्र का हिस्सा

योजना	केंद्र का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	टोटल
IGNOAPS (age 60-79)	200	800	1000
IGNOAPS (above 80yrs)	500	500	1000
IGNDPS (age 18-79)	300	700	1000
IGNDPS (above 80yrs)	500	500	1000
IGNWPS (age 40-79)	300	700	1000
IGNWPS (above 80yrs)	500	500	1000
SSSOAPS, SVNSPY, AJJPY, Nirashrit Mahila	-	1000	1000

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यह देखते हुए कि आखरी बार राशि 2007 में संशोधन किया गया था कहा था कि केंद्र और राज्यों को बुजुर्गों को पेंशन के अनुदान पर फिर से विचार करना चाहिए ताकि यह अधिक यथार्थवादी हो

FY 2023 में भारत के सभी राज्यों के केंद्र पेंशन में राशि और हिस्सेदारी देख के लिए यहाँ क्लिक करें[1]

Table 1.2: झारखंड में योजनावार पेंशनधारियों की कुल संख्या

पेंशन का प्रकार	पेंशनधारियों की कुल संख्या (लाखों में)
IGNOAPS	**9.2**
SSSOAPS	**19.1**
IGNDPS	**0.3**
SVNSPY	**2. 7**
IGNWPS	**2.5**
RVSPY	**4.7**

Retrieved from NSAP Report 3.State Dashboard on 11.03.24

[1] For district and block wise data on different pension scheme coverage and aadhaar seeding status, follow this link

केंद्र पेंशनधारी की संख्या	**11.9 lakh**
राज्य पेंशनधारी की संख्या	**27 lakh**

1.3 विभिन्न पेंशन योजनाओं की पात्रता

Note: सभी योजनाओं क पात्रता देखने के लिए क्लिक करें

Table 1.3: अपात्र मापदंड:-

S.No	Indicator	State Scheme Criteria	CSS
1	Income Tax	No Income Tax payee	No Income Tax payee
2	Govt Employee/ Pensioner	No Govt Employee/ Pensioner	No Govt Employee/ Pensioner
3	Income	-	No family member earning more than Rs.10,000 per month
4	Vehicle	-	Shouldn't own a two,three, four wheeler, fishing boat
5	Total Family Landholding	-	Irrigated land < 2.5 acres with one irrigation equipment Two or more crop irrigated land < 5 acres Dry land with one irrigation equipment < 7.5 acres
6	Property	-	3 or more solid walls room with roof (PMAY & IAY exempted) No landline phones, refrigerators

Fig 1.4: आवेदन के लिए प्रमाण पत्र

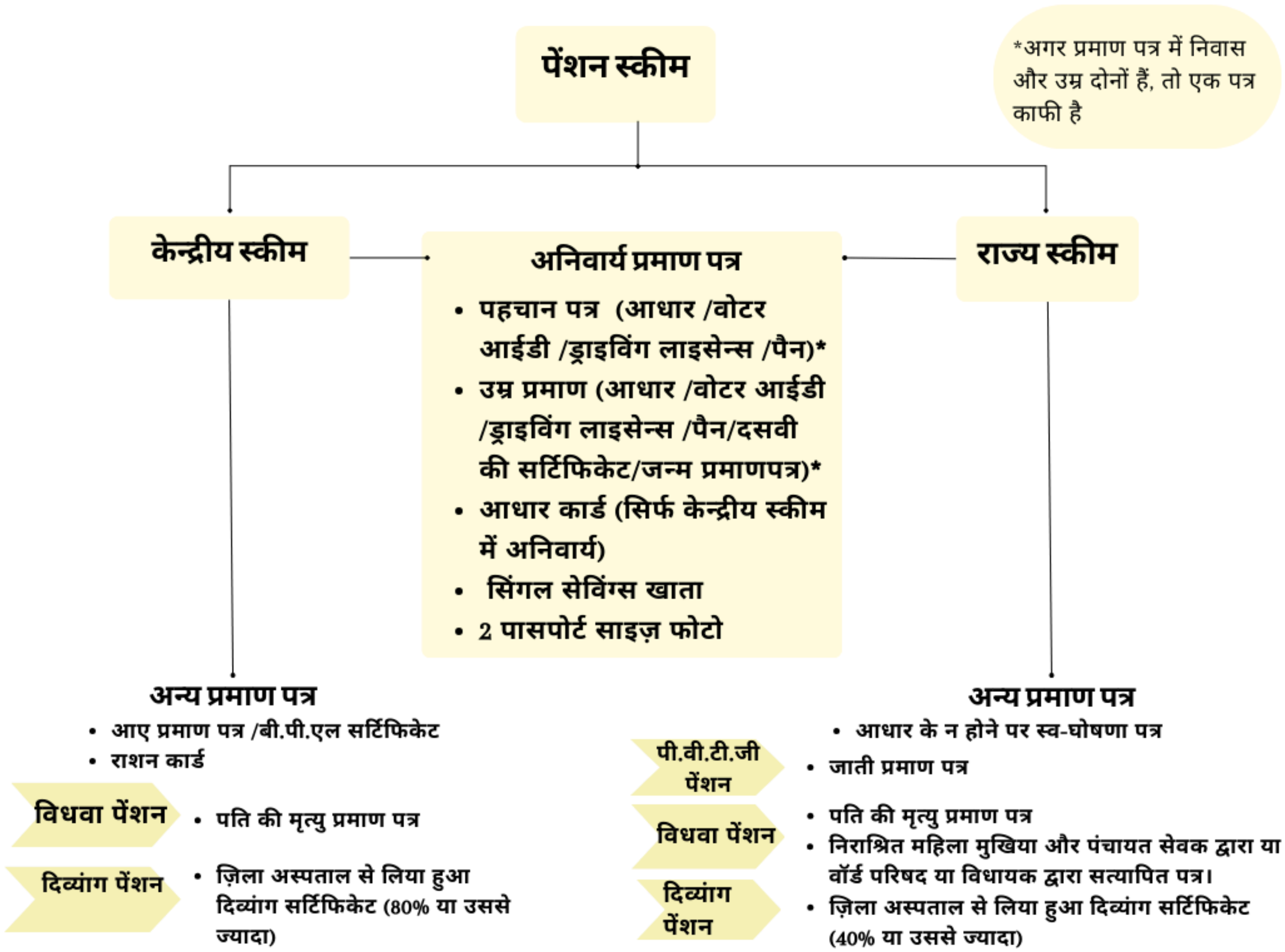

Fig 1.5: आवेदन प्रक्रिया

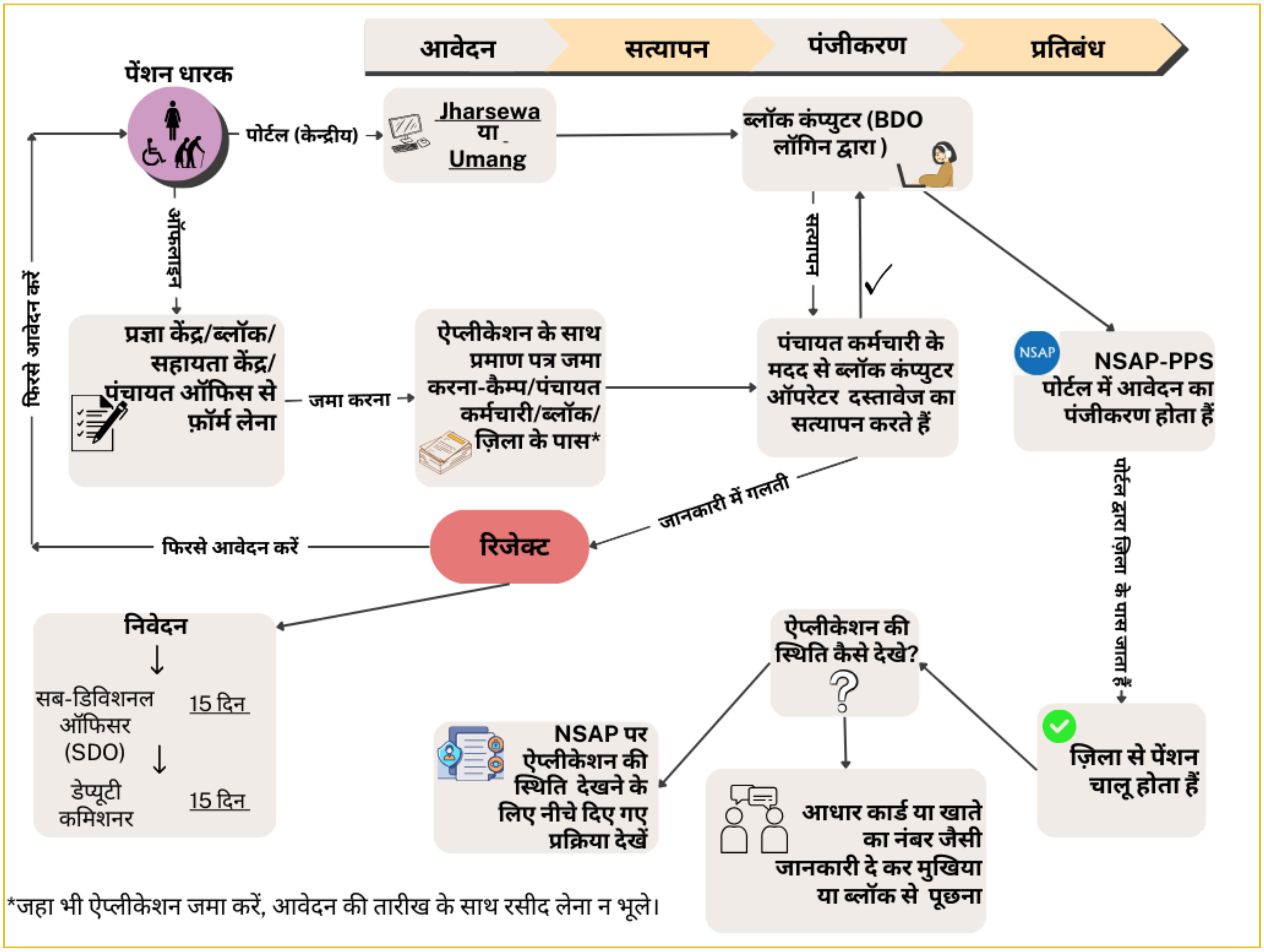

Table 1.4: विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति

नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी	BDO या अनुमंडल पदाधिकारी (CO)	
नियत समय सीमा	21 दिन	
अपीलीय अधिकारी		
a) प्रथम अपीलीय अधिकारी	SDO	अपील के निपटाने के लिए समय सीमा: **15** दिन
b) द्वितीय अपीलीय अधिकारी	उपायुक्त Deputy Commissioner	

अध्याय 2: सामाजिक सुरक्षा पेंशन जीवन चक्र

Fig 2.1: सामाजिक सुरक्षा पेंशन जीवन चक्र- 5 चरण

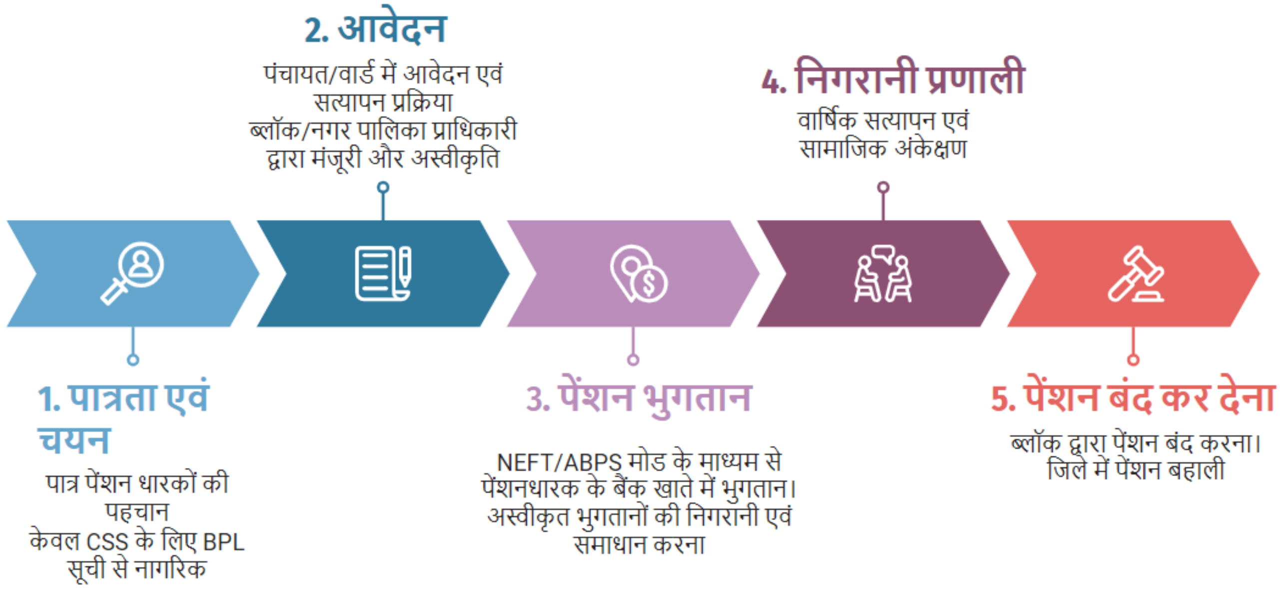

1. पहला चरण: योग्य पेंशनधारियों की पहचान, प्रमाण पत्र बनवाने में सहायता, खतियान बनवाना, सूचना का प्रसार
2. दूसरा चरण: आवेदन और सत्यापन, आवेदन की रिसीविंग, nsap पोर्टल पर पंजीकरण , 21 दिनों के भीतर ब्लॉक या वार्ड स्तर पे स्वीकृति या अस्वीकृति, एस.एम.एस अलर्ट के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर को लिंक करना, पेंशन धारकों की पंचायत-वार सूची, दीवार लेखन, अपील और समाधान
3. तीसरा चरण: 5 तारीख तक पेंशन भुगतान, पेंशनधारक जिनका भुगतान अस्वीकृत हो रहा है उनकी मासिक सूची और सहायता, मासिक भुगतान का एसएमएस अलर्ट, आधार सीडिंग और एन.पी.सी.आई मैपिंग, मासिक डी.एल.बी.सी (जिला स्तरीय बैंकर्स समिति) की बैठक
4. चौथा चरण: वार्षिक सत्यापन और पंचायत- वार सूची, अयोग्य मामलों में (पुनर्विवाह, आय में वृद्धि, मृत या विस्थापित) की पहचान करना , साल में दो बार सामाजिक अंकेक्षण, जीवन प्रमाण पत्र
5. पाँचवा चरण: पेंशन बंद होने वाले पेंशनधारकों की सूची का 15 दिन पहले ब्लॉक एवं पंचायत परप्रकाशीत करना, पेंशन धारक या परिवार को पेंशन बंद करने से पहले सूचना देना, ऐसे पेंशन धरकाओं की सूची को एक महीने के लिए ब्लॉक में प्रकाशित करना, शिकायत निवारण, गलत कारण से पेंशन रोक देने की स्थिति में पेंशन का वापस चालू करना

2.1 हितधारकों की जिम्मेदारियाँ - 5 स्टेज[2]

(1) पहला चरण: पेंशन के लिए पात्रता और चयन करने की प्रक्रिया

Stakeholder	जिम्मेदारी
ग्राम पंचायत एवं पंचायत कर्मी (ग्राम पंचायत : मुखिया , वार्ड मैम्बर पंचायत कर्मी जैसे पंचायत सेवक, स्वंग सेवक, आँगनवाड़ी कर्मी)	1. योग्य पेंशनधारियों की पहचान - दिए गये पात्रता मानदंडों के अनुसार मुखिया एवं वार्ड सदस्यों मिलकर योग्य व्यक्तियों की पहचान 2. जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाने में सहायता करने में ग्राम मुखिया का ज़रूरी भाग। 3. ज़रूरत के अनुसार असहाय विकलांग व्यक्तियों के साथ जिले में विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सहयोग करना एवं उनके साथ ज़िला जाना 4.खातियान बनवाना, सत्यापन और जाति प्रमाण पत्र का आवेदन लेना
कंप्यूटर ऑपरेटर	पात्रता मानदंड में परिवर्तन और संशोधन के बारे में जानकारी रखना।
बी.डी.ओ /ग्रामीण क्षेत्र में ब्लाक के अन्य पदाधिकारी शेहरी क्षेत्र में आँचल पदाधिकारी	1. उपलब्ध कोटा और लक्ष्य के आधार पर केंद्रीय पेंशन/राज्य पेंशन किसे दिया जाना चाहिए, इसके संबंध में निर्णय लेना। 2. यदि व्यक्ति की मृत्यु हुए एक माह से अधिक समय बीत गया हो तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में सहायता।
सब- डिविशनल ऑफिसर (एस. डी. ओ)	1. यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुए एक वर्ष से अधिक समय बीत गया हो तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए बीडीओ को आदेश जारी करना।
ज़िला स्तर पर पदाधिकारी।	1. जाति प्रमाण पत्र की स्वीकृति 2. मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदनों को स्वीकृत करें और उन्हें एस.डी.ओ को आगे फॉरवर्ड करें
प्रज्ञा केंद्र	1. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देना । 2. पात्रता मानदंड में परिवर्तन और संशोधन के बारे में जानकारी रखना और आगे लोगों को जानकारी देना ।

(2) दूसरा चरण: आवेदन देने की प्रक्रिया में

Stakeholder	जिम्मेदारी
ग्राम पंचायत एवं पंचायत कर्मी (ग्राम पंचायत : मुखिया , वार्ड मैम्बर	1. पेंशन आवेदन स्वीकार और प्रमाणित करना । प्राप्त प्रत्येक नए आवेदन की रिसीविंग देना तथा उसे प्रखंड कार्यालय में जमा करना 2. पीवीटीजी पेंशन के आवेदन पत्र को अपने स्तर पर पारित करना और परिवार के परिभाषा के अनुसार यह भी देखना की एक संयुक्त परिवार में कितने पीवीटीजी पेंशन दिया जा सकता है ताकि सभी को पेंशन मिले।

[2] References: Sankalp of State Pension, Sankalp of CSS, Sewa ka guarantee Act

Stakeholder	जिम्मेदारी
पंचायत कर्मी: पंचायत सेवक, स्वंग सेवक, आँगनवाड़ी कर्मी)	3. दस्तावेजों में नाम/उम्र/पते में बदलाव के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना । 4. निराश्रित महिला के लिए सत्यापन पत्र को हस्ताक्षर करना। 5. यदि किसी के पास कोई आयु प्रमाण नहीं है, तो मुखिया को पेंशन के लिए आवेदन करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति की सही आयु प्रमाणित करनी होगी। 6. पात्रता मानदंडों पर खरे नहीं उतरने वाले पेंशन आवेदनों को अस्वीकार करना। 7. आम जनता की जानकारी के लिए पंचायत भवन/वार्ड में सभी मौजूदा पेंशनभोगियों की सूची बनाए रखना और प्रदर्शित करना। 8. सभी आवेदकों को उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित करें - स्वीकृत/अस्वीकृत।
कंप्यूटर ऑपरेटर	1. नए पेंशन के आवेदकों का एन.एस.ए.पी (NSAP) पोर्टल में पंजीकृत करना और उनका आवेदन भरना। 2. बी डी ओ के लॉग इन द्वारा पोर्टल में आये नए आवेदनों को सत्यापन करके आगे की प्रक्रिया के लिए भेजना । 3. नाम, उम्र और घर का पते का सुधार करने के लिए डाटाबेस में परिवर्तन करना।
बी.डी.ओ /ग्रामीण क्षेत्र में ब्लाक के अन्य पदाधिकारी शेहरी क्षेत्र में आँचल पदाधिकारी	1. नए पेंशन आवेदन का स्वीकृत करना। प्रत्येक आवेदन के लिए प्राप्ति प्रदान करना। 2. नए पेंशन के आवेदनों को पंजिकृत करना। 3. 21 दिनों के भीतर पेंशन आवेदनों को पारित/ अस्वीकृत करना। 4. सभी पेंशन लेने वालों की पंचायत-वार सूची बनाए रखना। 5. जरूरत पड़ने पर मुखिया के निर्णय को नवीनीकरण/ अस्वीकार करें तथा पेंशन आवेदनों को स्वीकार करें/ अस्वीकार करना।
सब- डिविशनल ऑफिसर (एस. डी. ओ)	पेंशन के संबंध में बी.डी.ओ द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के विरुद्ध एस.डी.ओ को प्रथम अपील पधादिकारी होंगे। प्रथम अपील के समाधान का समय 15 दिन होता है ।
ज़िला स्तर पर पदाधिकारी	डी.डी.सी : एस.डी.ओ द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को चुनौती देने या पलटने का अधिकार जिले के उप विकास आयुक्त (डी.डी.सी) के पास है।
राज्य स्तर पर पदाधिकारी	1. एन.एस.ए.पी और पी.एफ.एम.एस पोर्टल की निगरानी करना 2. एन.एस.ए.पी और पी.एफ.एम.एस पोर्टल का उपयोग करने में जिला स्तर पर आने वाली समस्याओं का समाधान करना । 3. पोर्टल में तकनीकी खराबी की जानकारी भेजें आगे केंद्रीय स्तर एन.आई.सी को भेजना। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एन.आई.सी इस प्रक्रिया को देखा जाता है।
प्रज्ञा केंद्र	लोगों को केंद्रीय पेंशन (केंद्रीय पेंशन योजना) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में सहायता करें।
सी.एस.पी / बी.सी.पॉइंट / बैंक	1. नए बैंक खता खोलने के लिए 2. ई - के.वाई.सी और आधार सीडिंग करवाने के लिए । 3. आधार से जुड़े बैंक खातों के लिए एन.पी.सी.आई मैपिंग सक्षम करना 4. एस.एम.एस अलर्ट के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर को लिंक करना

(3) तीसरा चरण: पेंशन भुगतान और बैंक द्वारा प्रक्रिया

Stakeholder	जिम्मेदारी
ग्राम पंचायत एवं पंचायत कर्मी (ग्राम पंचायत : मुखिया , वार्ड मैम्बर पंचायत कर्मी: पंचायत सेवक, स्वंग सेवक, आँगनवाड़ी कर्मी)	1. पेंशनधारक जिनका भुगतान अस्वीकृत हो रहा है, उनका लिस्ट एवं जानकारी ब्लॉक से मिलता है । 2. उन पेंशनधारक की सहायता करना और उन्हें सूचित करना की उनका भुगतान किसी कारण से अस्वीकृत हो रहा है। 3. मुखिया/BDO को अधिकार दिया जा सकता है की वह पेंशनधारक के तरफ से आधार सीडिंग और एन.पी.सी.आई मैपिंग के लिए बैंक को सहमति पत्र भेज सकता है।
कंप्यूटर ऑपरेटर	1. जिला द्वारा प्राप्त मासिक अस्वीकृत भुगतानों की सूची पंचायत को भेजना और पेंशनधारकों को समाधान के लिए बैंक/जिले में जाने में सहायता करना। 2. पेंशनधारकों को मासिक पेंशन का भुगतान एवं बैंक खाता संख्या की जानकारी देना।
बी.डी.ओ /ग्रामीण क्षेत्र में ब्लाक के अन्य पदाधिकारी शेहरी क्षेत्र में आँचल पदाधिकारी	1. जिला द्वारा प्राप्त मासिक अस्वीकृत भुगतानों की सूची पंचायत को भेजना और पेंशनधारकों को समाधान के लिए बैंक/जिले में जाने में सहायता करना। 2. बी.डी.ओ को अधिकार दिया जाता है की वह पेंशनधारकों की ओर से आधार सीडिंग और एन.पी.सी.आई मैपिंग के लिए बैंक को सहमति पत्र भेज सकते हैं ।
ज़िला स्तर पर पदाधिकारी	सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) [ADSS]: 1. प्रत्येक माह की 5 तारीख तक सभी पेंशनधारकों के खाते में भुगतान भेजना [संदर्भ: राज्य पेंशन का संकल्प देखें] 2. अस्वीकृत भुगतानों की एक मासिक सूची संकलित करना और इसका समाधान के लिए ब्लॉक को भेजना। 3.प्रत्येक पेंशनधारकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मासिक भुगतान के लिए एसएमएस अलर्ट भेजना। 4. डी.सी: डीसी की अध्यक्षता में मासिक डी.एल.बी.सी (जिला स्तरीय बैंकर्स समिति) की बैठक होती हैं। ए.डी.एस.एस उस बैठक में भाग लेते हैं ।
राज्य स्तर पर पदाधिकारी	1.ट्रेज़री से जिला एस.एन.ए खातों में बजट का स्थानांतरण करना। 2. रेवोल्विंग फंड का इस्तेमाल करने का अधिकार। 3. आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा केन्द्रीकृत भुगतान भी किया जा सकता है।
प्रज्ञा केंद्र	सभी प्रज्ञा केंद्र बैंकिंग सेवा प्रदान नहीं करते हैं। अधिकार पेंशनधारक पूछ सकता है कि क्या उस प्रज्ञा केंद्र में निकासी की सुविधा उपलब्ध है या नहीं । वे आधार आधारित भुगतान (ABPS) के जरिए पैसे निकाल सकते हैं।

Stakeholder	जिम्मेदारी
सी.एस.पी / बी.सी.पॉइंट / बैंक	1.लोगों को उनके लेन-देन (20,000 रुपये तक की निकासी और जमा, पैसे भेजना, 20,000 रुपये तक के ऋण भुगतान, आदि) में सहयोग करनाऔर उनकी पासबुक को अपडेट करना। 2. सभी लेनदेन के लिए कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न रसीद और विवरण प्रदान करना। हाथ से लिखी रसीद को किसी भी रूप में वैध नहीं माना जाता है । 3. व्यक्तिगत खातों के लिए मिनी स्टेटमेंट प्रदान करना । 4. इनएक्टिव/निष्क्रियता की स्थिति में या अनुरोध पर खाते फ्रीज/बंद करना । 5. अनुरोध पर निष्क्रिय/इनएक्टिव खातों को चालू करना। 6. बैंकों को प्रत्येक पेंशनधारकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मासिक भुगतान के लिए एसएमएस अलर्ट भेजना।

(4) चौथा चरण: निगरानी और सत्यापन का प्रक्रिया :

ब्लॉक कार्यालय पंचायत के मुख्य लोग जैसे पंचायत मुखिया, या घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से पेंशनधाराकों का वार्षिक सत्यापन करते हैं । अयोग्य मामलों में (पुनर्विवाह, आय में वृद्धि, मृत या विस्थापित) की पहचान करना और उनका पेंशन बंद करने के लिए चिह्नित करते हैं ।

Stakeholder	जिम्मेदारी
ग्राम पंचायत एवं पंचायत कर्मी (ग्राम पंचायत : मुखिया , वार्ड मैम्बर पंचायत कर्मी: पंचायत सेवक, स्वंग सेवक, आँगनवाड़ी कर्मी)	1. पंचायत के मुख्य लोग जैसे पंचायत मुखिया या घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से पेंशनधाराकों का वार्षिक सत्यापन करना और ब्लॉक कार्यालय को भेजना। 2. वर्ष में दो बार पेंशन के हकदारों का सोशल ऑडिट करना।
कंप्यूटर ऑपरेटर	वार्षिक सत्यापन के लिए हर पंचायत को लिस्ट भेजना।
बी.डी.ओ /ग्रामीण क्षेत्र में ब्लाक के अन्य पदाधिकारी शेहरी क्षेत्र में आँचल पदाधिकारी	1. पेंशनधारियों की सूची वार्षिक सत्यापन हेतु पंचायत को भेजना। समय-समय पर सत्यापन संकलित करना और पेंशन बंद किए जाने वाले मामलों को चिह्नित करना। 2. कुछ मामलों में , जब बी.डी.ओ को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का आवेदन प्राप्त होता है, तब बी.डी.ओ यह जांचने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर को विवरण भेजते है कि आवेदक को कोई पेंशन मिल रहा था या नहीं। अगर हाँ तो पेंशन बंद करने का आदेश दे दिया जाता है। 2. कभी-कभी ब्लॉक सत्यापन के दौरान पेंशनधारक को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं।

Stakeholder	जिम्मेदारी
ज़िला स्तर पर पदाधिकारी	1. एन.एस.ए.पी और पी.एफ.एम.एस पोर्टल की निगरानी करना और एन.एस.ए.पी और पी.एफ.एम.एस पोर्टल का उपयोग करने में जिले से आने वाली समस्याओं का समाधान करना। 2. पोर्टल में आ रहे तकनीकी खराबी की जानकारी को एन.आई.सी भेजना। केंद्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एन.आई.सी इस प्रक्रिया को देखता है।
प्रज्ञा केंद्र	सत्यापन के दौरान ब्लॉक अधिकारियों द्वारा पूछे जाने पर पेंशनधारकों को वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र बनाने में सहायता करना।

(5) पांचवा चरण: पेंशन को रोक दिया जाने की प्रक्रिया

Stakeholder	जिम्मेदारी
ग्राम पंचायत एवं पंचायत कर्मी (ग्राम पंचायत : मुखिया , वार्ड मैम्बर पंचायत कर्मी: पंचायत सेवक, स्वंग सेवक, आँगनवाड़ी कर्मी)	1. ब्लाक द्वारा बनाया पेंशन धारकों की सूची जिनका पेंशन रोक दिया जा रहा है , उनका सूची ब्लाक से प्राप्त करना और पंचायत स्तर पर इस सूची को संधारित करना । 2. ब्लाक द्वारा प्राप्त इस सूची में इन मामलों का पुष्टि करना की असल में पेंशन रोक देना सही है या नहीं । 3. आम जनता की जानकारी के लिए यह सूची पंचायत भवन में लगवाने की जिम्मेदारी। 4. लोगों को ब्लाक द्वारा दिया गया पेंशन बंद करने से पहले हो रहे सत्यापन के समय उनको सूचित करना। 5. गलती से पेंशन रोक दिया जाने के मामलों में प्रमाणित करना, और लोगों को पेंशन के लिए फिर से आवेदन करने में सहायता करना ।
कंप्यूटर ऑपरेटर	1. पंचायत में सत्यापन के बाद ,बी.डी.ओ के आदेश पर तदनुसार जिनका सही कारण से पेंशन रोक देना चाहिए , उन पेंशन धारकों के नाम को पोर्टल पर अंकित करना । 2. गलती से पेंशन रोक देने की स्थिति में पेंशन का वापस चालू करने के लिए आवेदन एकत्र करना और जिले को आगे भेजना।
बी.डी.ओ /ग्रामीण क्षेत्र में ब्लाक के अन्य पदाधिकारी शेहरी क्षेत्र में आँचल पदाधिकारी	1. सत्यापन के बाद पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार पेंशन धारक जो अब अपात्र हो गये हैं उनका सूची बनवाना और पेंशन रोक देने से 15 दिन पहले इस सूची को ब्लाक/पंचायत भवन के सूचना पट्ट में डालना ताकि कोई भी विवाद/शिकायतें उठाने का मौका मिल सके। ऐसी शिकायतों का समाधान बी.डी.ओ द्वारा किया जाता है जो ऐसे मामलों पर अंतिम मंजूरी भी वही देते हैं। 2. जब सूचनापट्ट में सूची डालने के 15 दिन बाद कोई विवाद/शिकायत नहीं उठाया जाता है, तब उन पेंशन धारक जो अब अपात्र हो गये हैं , उनका पेंशन रक देने के लिए आदेश आरी करके कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा पोर्टल में से उनको चिन्हित करना। 3. ब्लॉक स्तर पर रोक दिया गया पेंशन की एक सूची बनाए रखना - इस सूची की एक प्रति ब्लॉक कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर 1 महीने के लिए प्रदर्शित करवाना और दूसरा प्रति पंचायत भवन को भिजवाना ।

Stakeholder	जिम्मेदारी
	4. गलती से पेंशन रोक देने की स्थिति में पेंशन को वापस शुरू करवाने का आवेदन/शिकायत जिला स्तर पर भेजना।
सब- डिविशनल ऑफिसर (एस. डी. ओ)	पेंशन को रोक देने के संबंध में बी.डी.ओ द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के विरुद्ध एस.डी.ओ प्रथम अपील अधिकारी होंगे। प्रथम अपील के समाधान का समय **15** दिन है।
ज़िला स्तर पर पदाधिकारी	1.गलती से पेंशन रोक देने की स्थिति में पेंशन का वापस चालू करना। 2. प्रत्येक वर्ष कारण सहित हटाए गए नामों की सूची बनाए रखना और एक प्रति सामाजिक सुरक्षा कोषांग (ट्रेज़री) को भेजना। 3. एसडीओ द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को चुनौती देने का अधिकार जिले के उप विकास आयुक्त के पास है।

2.2 पेंशन MIS पर कैसे जांच करें: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP-PPS)

WWW.GOOGLE.CO.IN पर **NSAP** लिखिए और गूगल सर्च पर क्लिक करें

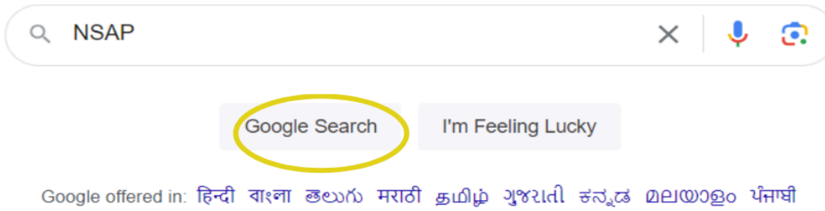

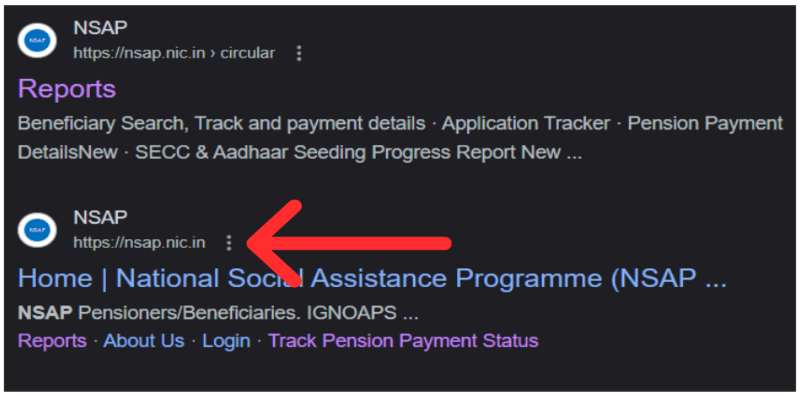

फिर इस वेबसाईट पर क्लिक करें **[HTTPS://NSAP.NIC.IN/](https://nsap.nic.in/)**

वेबसाईट खुलने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी |
फिर आप **OPTIONS** में जाए और चौथा ऑप्शन यानि **REPORTS** पर क्लिक करें

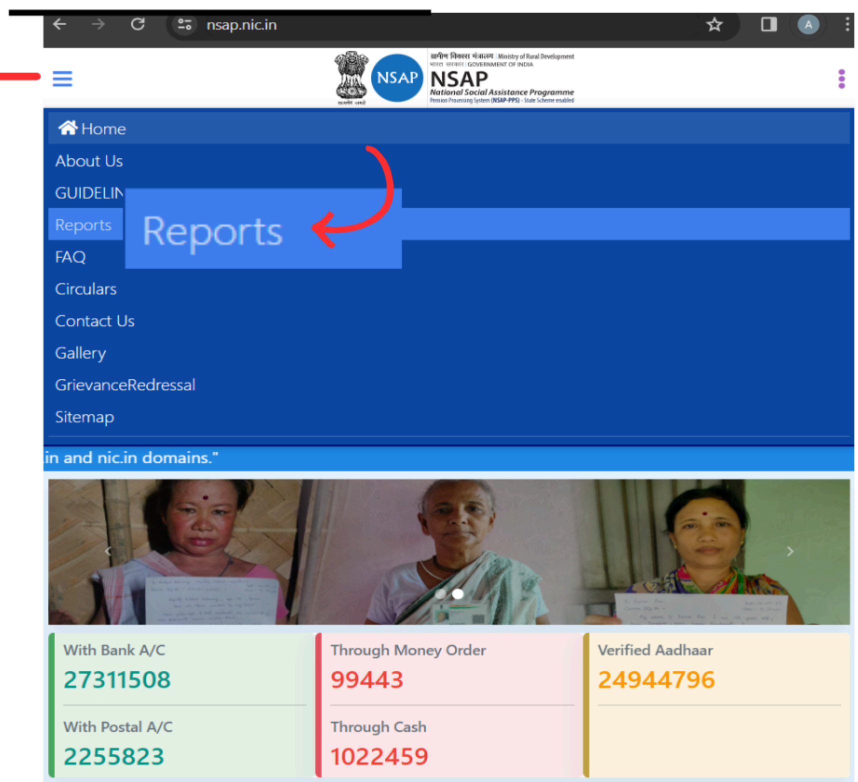

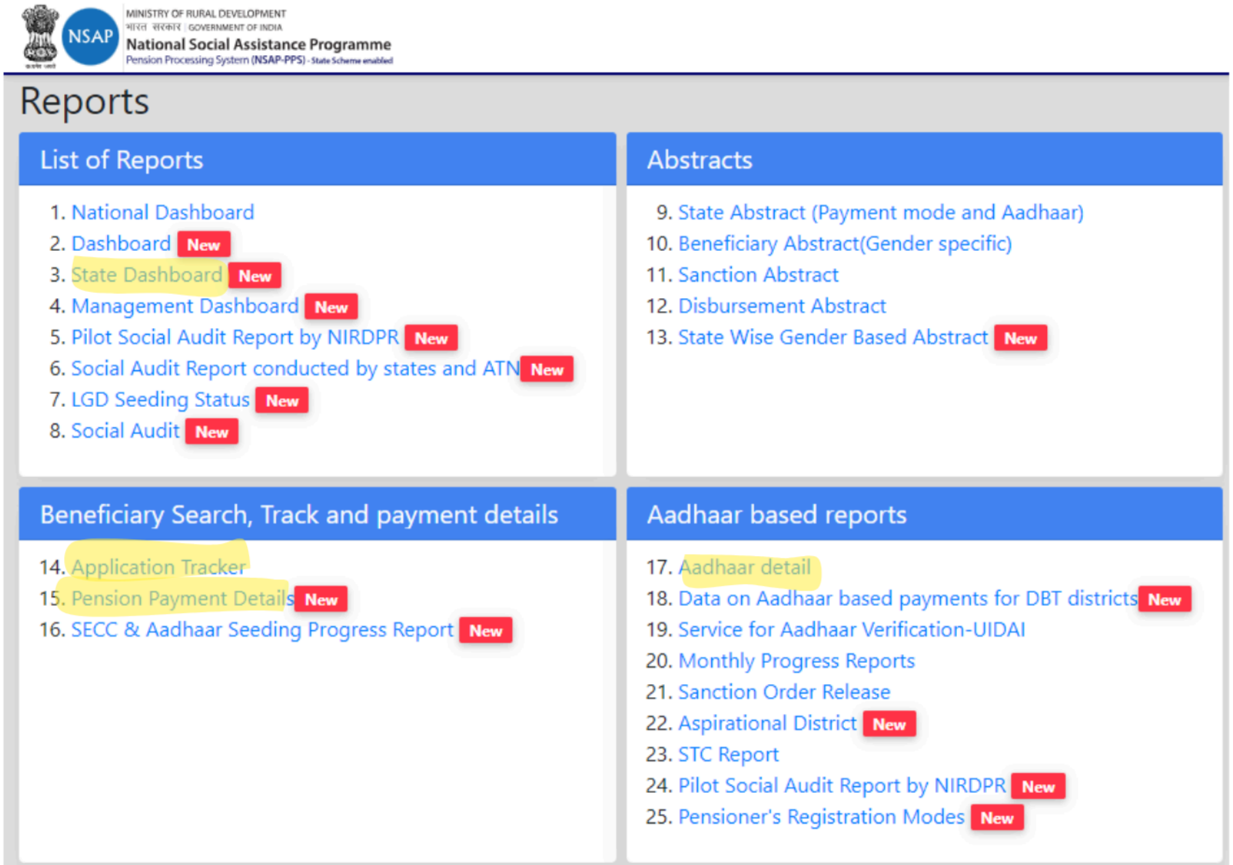

इस पोर्टल पर यह **25** रेपोर्ट्स हैं | जिसमे से हम रिपोर्ट : **3,14, 15, 17** को आगे विस्तार से देखेंगे

2.2.1 राज्य, जिला और ब्लॉक अवलोकन: योजना-वार पेंशनधारकों की संख्या और आधार सीडिंग देखने के लिए : **Report 3.State Dashboard**

रिपोर्ट **3** में सभी केंद्र स्कीम और राज्य स्कीम की अलग-अलग जानकारी के साथ **ALL CENTRE SCHEMES** की इकट्ठा जानकारी भी मिल जाएगी

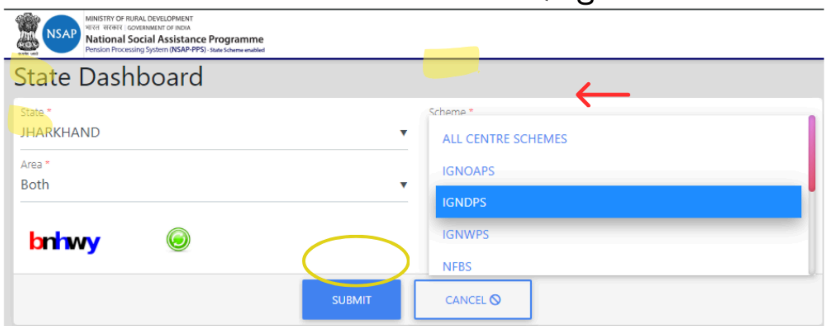

राज्य, एरिया और **CAPTCHA** जैसी जानकारी भरिए और स्कीम चुनें।

फिर **SUBMIT** पर क्लिक करें।

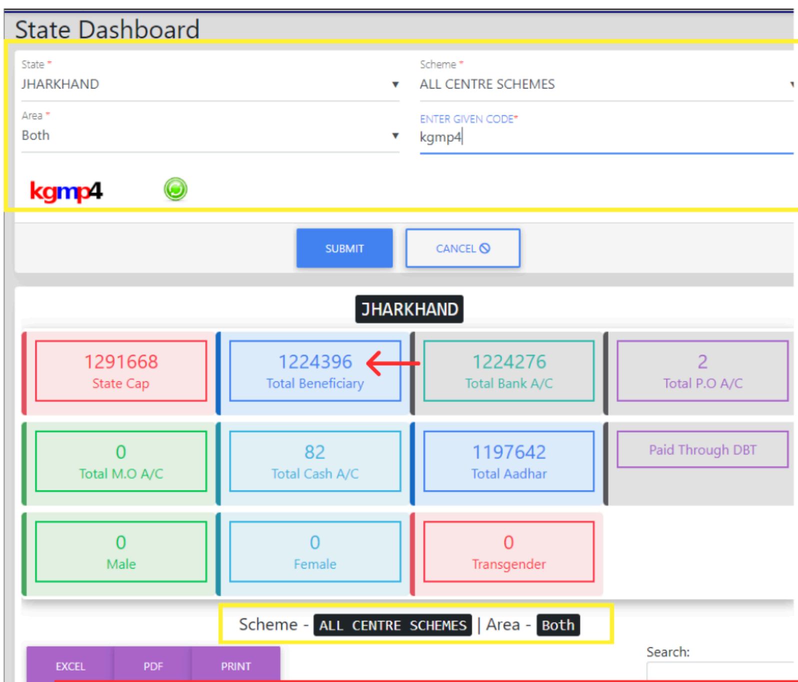

S.No	District	Scheme	Total Beneficiary	Total Bank Account	Total P.O Account	Total M.O Account	Total Cash Account	Total Aadhar	PFMS Registered
1	BOKARO	ALL CENTRE SCHEMES	49775	49774	0	0	0	49681	49070
2	CHATRA	ALL CENTRE SCHEMES	43080	43078	2	0	0	42525	42679
3	DEOGHAR	ALL CENTRE	50628	50628	0	0	0	50094	48203

यहाँ राज्य जैसे **JHARKHAND**, स्कीम जैसे **ALL CENTRE SCHEMES** और एरिया **BOTH** का चयन किया गया है

SUBMIT पर क्लिक करने पर ऐसा पेज खुलेगा।

फिर उस पेज के नीचे देखेंगे तो पूरे राज्य में कुल **1224396** पेंशन धारकों को तीनों केन्द्रीय स्कीम के तहत पेंशन मिल रही है

फिर और नीचे देखेंगे तो सभी केंद्र स्कीम में ज़िलावार पेंशन धारकों की संख्या है|

जैसे **BOKARO** में कुल **49975** पेंशन धारक है जिनमे से सिर्फ **1** पेंशन धारक का बैंक खाता पोर्टल में नहीं जुड़ा हुआ है | और कुल **49681** का आधार जुड़ा हुआ है|

आखरी कॉलम में **49070** का **PFMS** रेजिस्ट्रैशन बताया है| **PFMS** पेमेंट की देख रेख करने के लिए पोर्टल है| इस पोर्टल में सही से रेजिस्ट्रैशन ना होने से पेमेंट रिजेक्ट होने की संभावना बढ़ती है

फिर जिस भी ज़िला की जानकारी प्राप्त करनी हो उसका सूची से चयन करें
जैसे **JHARKHAND -> GARHWA** का चयन किया गया है

गढ़वा में तीनों केंद्र पेंशन में कुल **75220** लोगों को पेंशन मिल रहा हैं जिसमे **33656** पुरुष हैं और **41564** महिलाए हैं

फिर नीचे देखेंगे तो गढ़वा के ब्लॉक - वार जानकारी की सूची है

पिछले पेज़ के तरह यहाँ वही जानकारी है परंतु ब्लॉक- वार जैसे भंडरिया ब्लॉक में कुल **1938** पेंशन धारक हैं जिनमे से **1719** का **RECORD MAPPED IN NPCI** है | आधार के द्वारा भुगतान के लिए पेंशन धारक का आधार उनके खाते से जुड़ा होना चाहिए और उनका आधार उस बैंक के **IIN** नंबर से भी लिंक होना चाहिए

इसका मतलब क्या है?
NPCI MAPPING को विस्तार से समझने के लिए चैप्टर **4** देखें

JHARKHAND --> GARHWA

75220 Total Beneficiary	75220 Total Bank A/C	0 Total P.O A/C	0 Total M.O A/C
0 Total Cash A/C	73628 Total Aadhar	0 Paid Through DBT	33656 Male
41564 Female	0 Transgender		

Scheme - ALL CENTRE SCHEMES | Area - Both

EXCEL PDF PRINT

यह फाइल आप **PDF** या **EXCEL** में डाउनलोड भी कर सकते हैं

Search:

S.No	Subdistrict/ Municipality	Scheme	Total Beneficiary	Total Bank Account	Total P.O Account	Total M.O Account	Total Cash Account	Total Aadhar	Record Mapped In NPCI	PFMS Registered
						RURAL				
1	BARDIHA	ALL CENTRE SCHEMES	2724	2724	0	0	0	2697	2417	2719
2	BARGARH	ALL CENTRE SCHEMES	1298	1298	0	0	0	1254	1046	1296
3	BHANDARIA	ALL CENTRE	1938	1938	0	0	0	1919	1719	1938

पंचायत- वार जानकारी के लिए अपने अनुसार ब्लॉक का चयन करें|
जैसे यहाँ **BHANDARIA** का चयन किया गया है

नोट: **TOTAL AADHAAR** और **RECORD MAPPED IN NPCI** का अंतर से हम एक ब्लॉक या पंचायत में कितना आधार सीडिंग होना बाकी है यह पता लगा सकते हैं

JHARKHAND--> GARHWA --> BHANDARIA

Scheme - ALL CENTRE SCHEMES | Area - Both

EXCEL PDF PRINT

Search:

ALL CENTRE SCHEMES

S.No	GramPanchayat/Ward	Scheme	Total Beneficiary	Total Bank Account	Total P.O Account	Total M.O Account	Total Cash Account	Total Aadhar	Record Mapped In NPCI	PFMS Registered
1	BHANDARIA	ALL CENTRE SCHEMES	248	248	0	0	0	246	214	248

फिर चयन किए गए ब्लॉक के पंचायत- वार सूची आ जाएगी |
फिर जिस पंचायत की सूची और जानकारी चाहिए उसका चयन करें|
जैसे **BHANDARIA** ब्लॉक के **BHANDARIA** पंचायत का चयन किया गया है|

JHARKHAND--> GARHWA --> BHANDARIA --> BHANDARIA

BAC

EXCEL PDF PRINT

Search:

S.No	Sanction Order No	Beneficiary Name	Father/ Husband NAme	Age/ Gender	Scheme	Disbursement Mode	PFMS Registered
86	JH-S-02409403	SHAKILA BIBI	LT MOTU MIYAN	51 / F	IGNWPS	Bank	YES
87	JH-S-02409437	BHUKHALI DEVI	LT RAMNATH MANJHI	61 / F	IGNWPS	Bank	YES
88	JH-S-02519907	AANTI DEVI	LT SHIVRAJ MAHTO	44 / F	IGNWPS	Bank	YES
89	JH-S-02519910	SAKUNTI DEVI	LT KUNVAR SINGH	47 / F	IGNWPS	Bank	YES
90	JH-S-02568172	MAIRUN BIBI	HAKIM MIYA	64 / F	IGNWPS	Bank	YES
91	JH-S-00012497	BALKISH	LT. LADHARI MANJHI	66 / M	IGNOAPS	Bank	YES
92	JH-S-00012346	PARMESHWARI LAKRA	PREM NATH LAKRA	70 / F	IGNOAPS	Bank	YES
93	JH-S-00221927	KARMAN SINGH	LATE SUKHDEV SINGH	66 / M	IGNOAPS	Bank	YES
94	JH-S-00221975	ASHMI DEVI	BIPAT MANJHI	66 / F	IGNOAPS	Bank	YES

Showing 1 to 248 of 248 entries

PRINT BACK

फिर चयन किए गए पंचायत की सूची आ जाएगी |

जैसे यहाँ **BHANDARIA** पंचायत में तीनों केंद्र पेंशन के हक़दार की सूची है| इस पंचायत में कुल ऐसे **248** पेंशन धारक हैं

2.2.2 यदि आवेदन संख्या ज्ञात हो तो नए आवेदन की स्थिति की जाँच करना

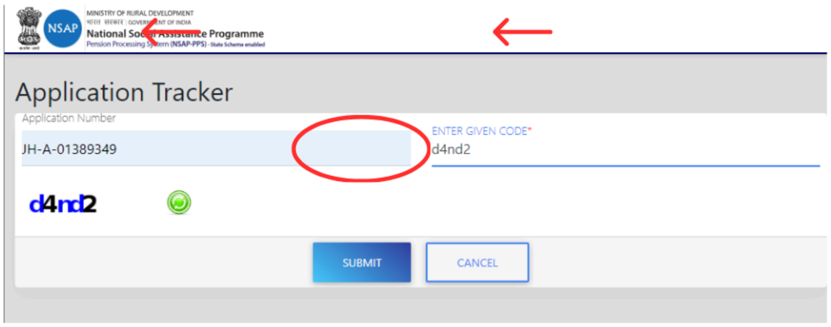

ऐप्लकैशन नंबर और **CAPTCHA** भरें और **SUBMIT** पर क्लिक करें

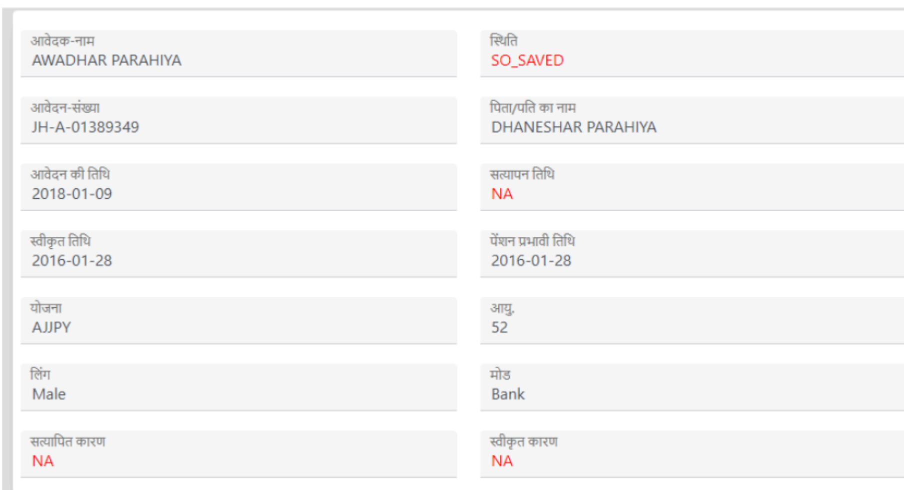

फिर भरे हुए ऐप्लकैशन नंबर की जानकारी कुछ इस प्रकार दिखेगी

यहाँ आप आवेदन (**APPLICATION**) स्वीकृति (**APPLICATION SUBMISSION**) और पेंशन प्रभावी (**PENSION EFFECTIVE**) की तिथि, पेंशन योजना का नाम, लिंग, पिता/पति का नाम जैसे जानकारी देख सकते हैं

जैसे **AWADHAR PARAHIYA** की आदिम जनजाति पेंशन **28/1/16** को शुरू हो चुकी है

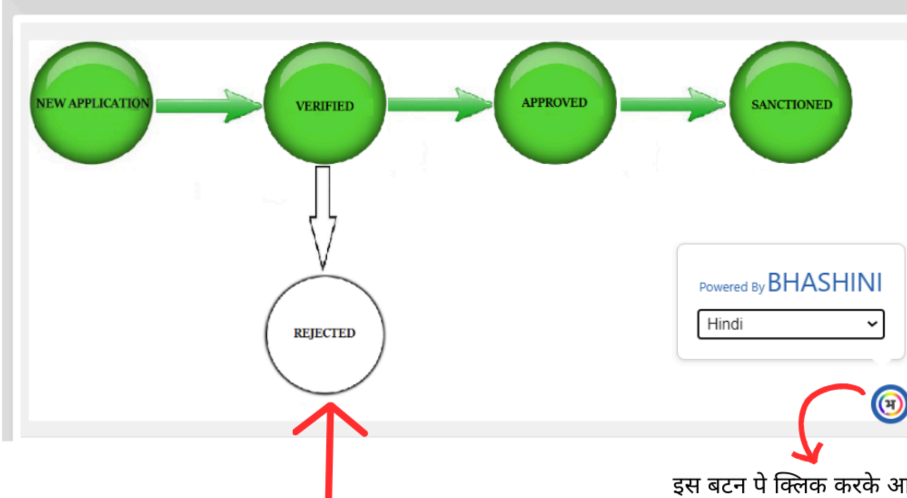

REJECTED यानि पेंशन का आवेदन अस्वीकार किया गया है और पेंशन चालू नहीं हुई है

इस बटन पे क्लिक करके आप वेबसाईट को हिन्दी में कर सकते हैं

2.2.3 यदि आवेदन संख्या ज्ञात हो तो नए आवेदन की स्थिति की जाँच करना- व्यक्तिगत पेंशन विवरण ढूँढना:

2.2.3.1: यदि पेंशन आईडी (सेंकशन आइडी) पता हो: रिपोर्ट 15. पेंशन भुगतान विवरण

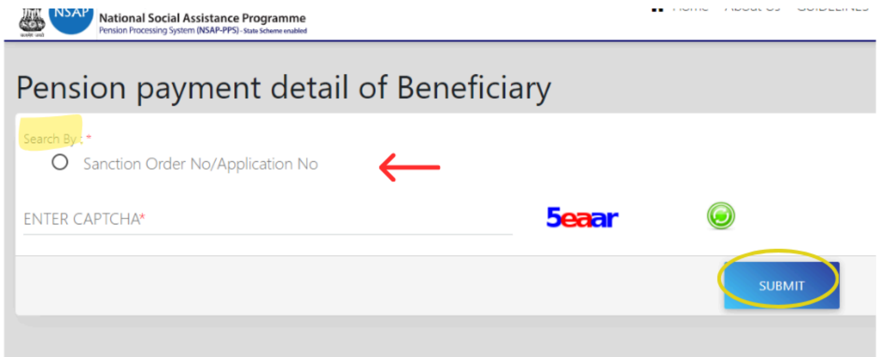

SANCTION ORDER NO. या **APPLICATION NO** और **CAPTCHA** जैसी जानकारी भरिए|

फिर **SUBMIT** पर क्लिक करें।

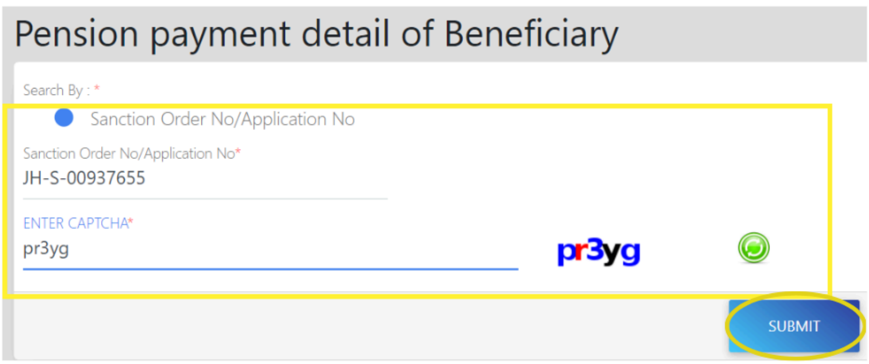

ऍप्लिकेशन नंबर और **CAPTCHA** भरें और **SUBMIT** पर क्लिक करें।

यहाँ ऍप्लिकेशन नंबर **JH-S-00937655** भरके **SMT. RADHA MOSMAT** के पेंशन की जानकारी मिली है।

फिर भरे हुए ऍप्लिकेशन नंबर की जानकारी कुछ इस प्रकार दिखेगी

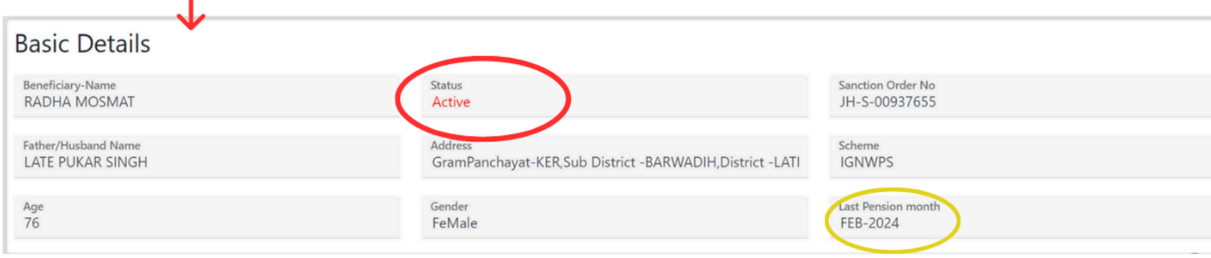

STATUS ACTIVE होने का मतलब है की पेंशन चालू है।

यहाँ पेंशन प्राप्त होने का आखरी महीना दिखेगा। अगर यहाँ वर्तमान महीना दिखे तो पेंशन चालू है। अगर वर्तमान महीने से पहले है तो संभव है की पेंशन अस्वीकार/**REJECT** हो रहा है।

2.2.3.2 यदि पेंशन आईडी ज्ञात नहीं है तो हम सबसे पहले पंचायत सूची से पेंशन आईडी ढूंढते हैं:

लेकिन अगर किसीको अपना पेंशन **ID** नहीं पता है तो क्या करें **?**

पहले जैसे रिपोर्ट **3** में दिखाया है वैसे पंचायत की सूचि निकाले । उदाहरण के लिए हमें **BARWADIH** के **KER** पंचायत की **PANPATI DEVI** जिन्हे वृद्धा पेंशन मिलती है उनकी जानकारी निकालनी है।

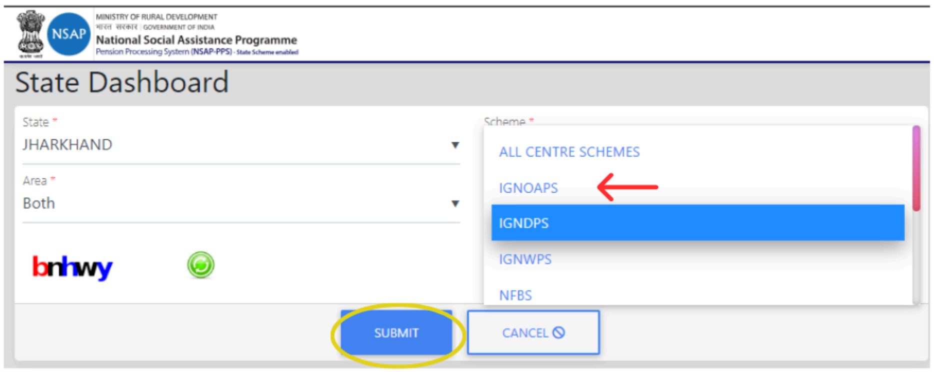

रिपोर्ट **3** में राज्य, एरिया, स्कीम और **CAPTCHA** जैसी जानकारी भरिए।

फिर **SUBMIT** पर क्लिक करें।

PANPATI DEVI की पेंशन की जानकारी देखने के लिए **JHARKHAND -> LATEHAR -> BARWADIH** का चयन किया गया है फिर नीचे देखेंगे तो बरवाडीह का पंचायत - वार जानकारी की सूची है

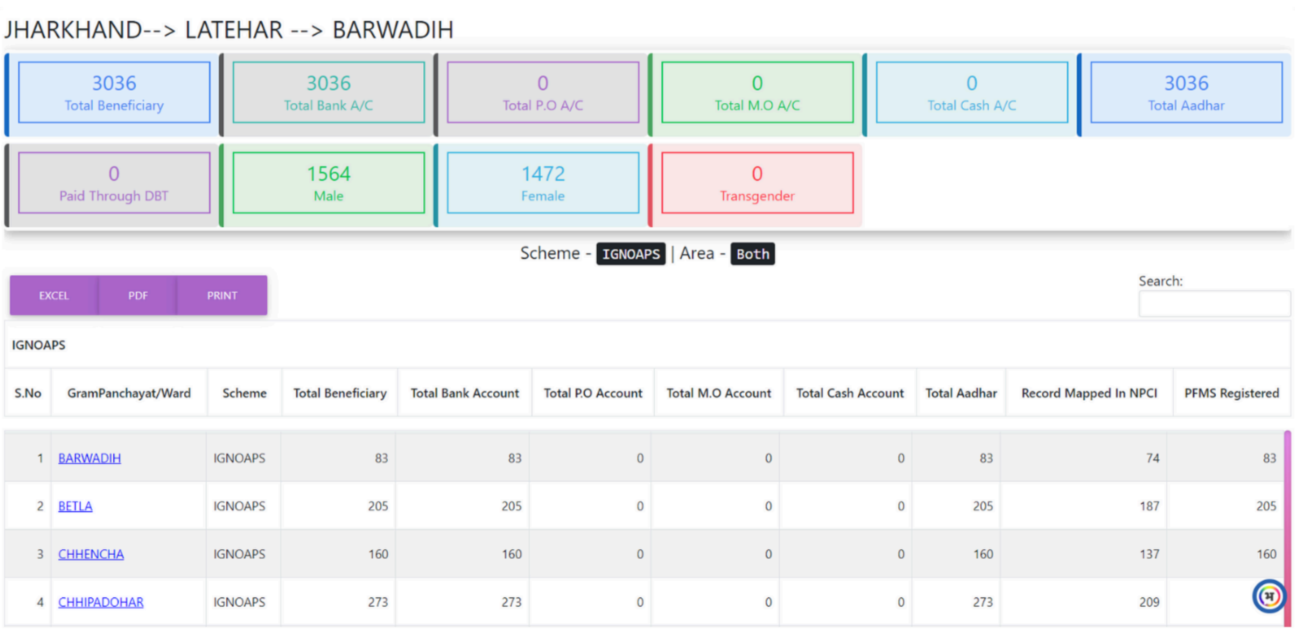

S.No	GramPanchayat/Ward	Scheme	Total Beneficiary	Total Bank Account	Total P.O Account	Total M.O Account	Total Cash Account	Total Aadhar	Record Mapped In NPCI	PFMS Registered
1	BARWADIH	IGNOAPS	83	83	0	0	0	83	74	83
2	BETLA	IGNOAPS	205	205	0	0	0	205	187	205
3	CHHENCHA	IGNOAPS	160	160	0	0	0	160	137	160
4	CHHIPADOHAR	IGNOAPS	273	273	0	0	0	273	209	

अपने अनुसार पंचायत का चयन करें| जैसे यहाँ **KER** का चयन किया गया है

EXCEL PDF PRINT

Search:

S.No	Sanction Order No	Beneficiary Name	Father/ Husband NAme	Age/ Gender	Scheme	Disbursement Mode	PFMS Registered
1	JH-S-00199838	KAMAL YADAV	PURANCHAND YADAV	69 / M	IGNOAPS	Bank	YES
2	JH-S-00205216	BALESHWAR BHUIYAN	LATE BUDHAN BHUIYAN	71 / M	IGNOAPS	Bank	YES
3	JH-S-00205549	SUKHLAL SINGH	L. TINKU SINGH	76 / M	IGNOAPS	Bank	YES
4	JH-S-00205848	DHAUNI DEVI	BISUNDEV PARAHIYA	72 / F	IGNOAPS	Bank	YES
5	JH-S-00751985	RAJDEO SINGH	LATE NANHAQ SINGH	70 / M	IGNOAPS	Bank	YES
6	JH-S-00013271	UGAR YADAV	SARIF YADAV	72 / M	IGNOAPS	Bank	YES
7	JH-S-00038440	RAGHUNATH SINGH	KEDAR SINGH	69 / M	IGNOAPS	Bank	YES
8	JH-S-00083287	JODHI SINGH	SHIVNANDAN SINGH	71 / M	IGNOAPS	Bank	YES

यहाँ पंचायत में हर पेंशन धारक की सूचि दिख जाएगी।

अपनी जानकारी ढूंढ़ने के लिए **SEARCH** पर अपना नाम लिखना शुरू कीजिये जैसे यहाँ **"PANPATI"** लिखा है

JHARKHAND--> LATEHAR --> BARWADIH --> KER

BACK

EXCEL PDF PRINT

Search: panpati

S.No	Sanction Order No	Beneficiary Name	Father/ Husband NAme	Age/ Gender	Scheme	Disbursement Mode	PFMS Registered
23	JH-S-00199841	PANPATI DEVI	KAMAL YADAV	68 / M	IGNOAPS	Bank	YES
28	JH-S-00199860	PANPATI DEVI	RAMESHWAR YADAV	66 / F	IGNOAPS	Bank	YES

अगर एक से ज़्यादा पेंशन धारक के एक नाम है तो पिता या पति का नाम देखकर सही ऍप्लिकेशन का चयन करे

अपने ऍप्लिकेशन नंबर का चयन करने पे पेंशन की जानकारी मिल जाएगी जैसे नीचे देख सकते है।

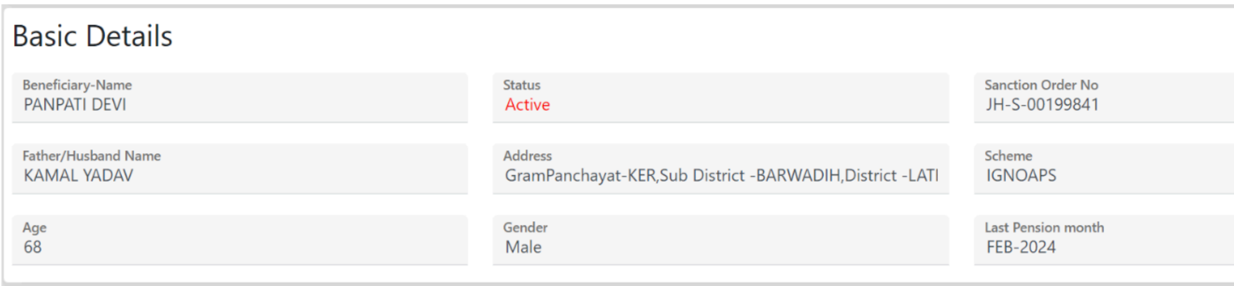
Basic Details

Beneficiary-Name PANPATI DEVI	Status Active	Sanction Order No JH-S-00199841
Father/Husband Name KAMAL YADAV	Address GramPanchayat-KER,Sub District -BARWADIH,District -LATI	Scheme IGNOAPS
Age 68	Gender Male	Last Pension month FEB-2024

अगर पंचायत की केंद्र पेंशन सूचि में नाम नहीं मिलता है तो संभव है की व्यक्ति राज्य पेंशन स्कीम के अधिकारी है। तब रिपोर्ट **3** में स्कीम जैसे बूढ़ा पेंशन के लिए **SSSOAPS** ,विधवा पेंशन के लिए **RVSPY,** आदिम जनजाति पेंशन के लिए **AJJPY,** और निशक्त पेंशन के लिए **SVNSPY** का चयन करे।

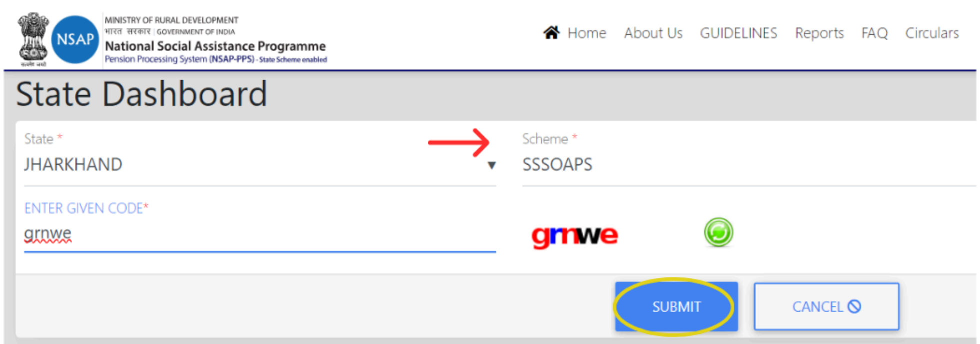

सही स्कीम का चयन करने पर ज़िला वार पेंशन की सूचि दिख जाएगी। फिर ऊपर बताए गए तरीके से अपनी पेंशन की जानकारी निकाले।

2.2.4: पंचायत-स्तरीय विस्तृत पेंशनधारकों की सूची और बंद किए गए पेंशन धारीयों का विवरण: रिपोर्ट **17.** आधार विवरण

नोट: यह रिपोर्ट आप पंचायत स्तर के सभी पेंशन धारक की जानकारी जैसे ऐप्लकैशन नंबर/ पेंशन **ID**, पेंशन चालू है या नहीं, आधार का स्टैटस देखने के लिए कर सकते हैं| इस सूची का ज़मीनी सत्यापन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं

यह **REPORT 17: AADHAAR DETAIL** है।

नोट: यह रिपोर्ट आप पंचायत स्तर के सभी पेंशन धारक की जानकारी जैसे ऐप्लकैशन नंबर/ पेंशन **ID**, पेंशन चालू है या नहीं, आधार का स्टैटस देखने के लिए कर सकते हैं| इस सूची का ज़मीनी सत्यापन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं

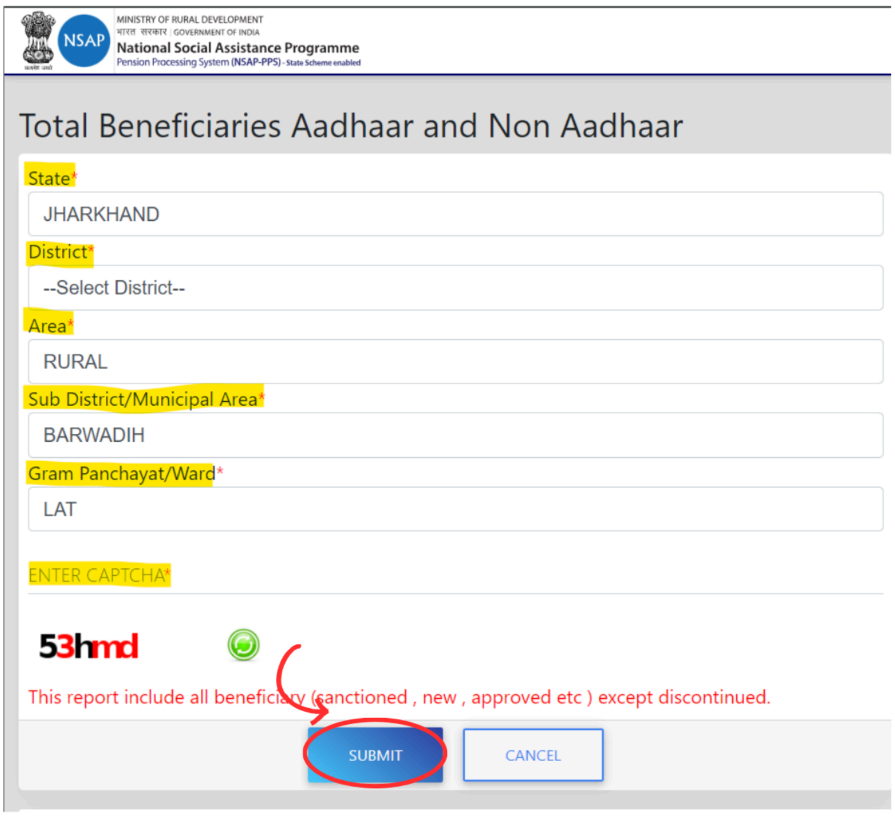

राज्य का चयन करें जैसे **JHARKHAND**
ज़िला का चयन करें
एरिया (**RURAL** यानि ग्रामीण **URBAN** यानि शहरी)
ब्लॉक का नाम का चयन करें जैसे **BARWADIH**
पंचायत का चयन करें जैसे **LAT**

फिर **CAPTCHA** भरें
सभी जानकारी भरने का बाद **SUBMIT** पर क्लिक करें

SUBMIT करने के बाद उसी पेज में नीचे देखेंगे **JHARKHAND -> LATEHAR -> BARWADIH -> LAT** के कुल **1322** ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका आधार **NSAP** पोर्टल से जुड़ा हुआ है और **18** ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका आधार नहीं जुड़ा हुआ है

JHARKHAND ->LATEHAR ->BARWADIH ->LAT

CATEGORY	NO OF PENSIONERS
Aadhaar	1322
Non Aadhaar	18

BACK

अब जो भी नंबर आधार के आगे लिखा है उस पर (जैसे1322) पर क्लिक करेंगे तो ऐसे एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी| ध्यान रखें की फोन और लैपटॉप में फाइल डाउनलोड करने की पर्मिशन दी गई है|
इसी तरह नॉन आधार के नंबर पर क्लिक करके फाइल डाउनलोड कीजिए

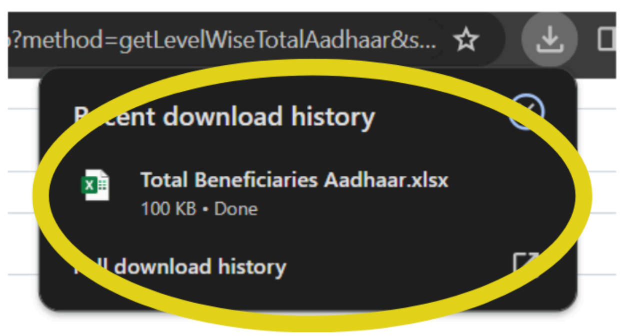

डाउनलोड हुई इक्सेल (**EXCEL SHEET**) फाइल को **OPEN** करें जो कुछ ऐसे दिखेगी यह लात पंचायत की आधार फाइल है
इसमे पंचायत के सभी पेंशन धारियों का ऐप्लकैशन नंबर, उनका नाम, पिता/पति का नाम, उम्र और जेन्डर, गाँव का नाम जैसी जानकारी है

LIST OF BENEFICIARIES WITH AADHAAR

STATE :JHARKHAND, DISTRICT :LATEHAR, SUBDISTRICT/MUNICIPALITY :BARWADIH, GRAMPANCHAYAT/WARD :LAT

No	Application No.	Beneficiary No	Applicant Name	Name as per Aadhaar	Father's/ Husband Name	Age/Gen	Scheme	Village	Disbursement Mode	Aadhar Verified	Seeded with Bank	Status
0	JH-A-01649858	jh-s-0592716	RAMKISUN ORAO	RAM KISUN ORAON	BUDHWA ORAON	71 / M	SSSOAPS	GASEDAG	Bank	Yes	Yes	POST_DISCONTINUED
1	JH-A-01453920	JH210417102	MANGARI DEVI	MANGARI DEVI	CHAM SINGH	65 / F	SSSOAPS	LAT	Bank	Yes	Yes	POST_DISCONTINUED
2	JH-A-01215856	JH020216104	BHUGLI DEVI	BHUGLI DEVI	LATE GANAG ORAON	66 / M	SSSOAPS	LAT	Bank	Yes	Yes	POST_DISCONTINUED
3	JH-A-02543438	261/21-22	SOHAR SINGH	SOHAR SINGH	SARVJIT SINGH	75 / M	SSSOAPS	LAT	Bank	Yes	Yes	POST_DISCONTINUED
4	JH-A-02543480	267/21-22	RAMSAHY ORAO	RAMSAHY ORAON	MADVA ORAON	66 / M	SSSOAPS	LAT	Bank	Yes	Yes	POST_DISCONTINUED
5	JH-A-00386667	JH230816030	ALBINUS KUJUR	ALBINUS KUJUR	ISDAR KUJUR	66 / M	SSSOAPS	SERENDAG	Bank	Yes	Yes	POST_DISCONTINUED
6	JH-A-07199481	2460/2022-2	SUNITA DEVI	SUNITA DEVI	BANDHAN SINGH	62 / F	SSSOAPS	BERE	Bank	Yes	Yes	POST_DISCONTINUED
7	JH-A-01735760	28/18-19	PRAMILA DEVI	PRAMILA DEVI	SAMAD SINGH	39 / F	RVSPY	SERENDAG	Bank	Yes	Yes	SANCTIONED
8	JH-A-07522683	09/23-24	SUGAPATI DEVI	SUGAPATI DEVI	JAGMOHAN SINGH	31 / F	NFBS	HARHE	Bank	Yes	No	DONE
9	JH-A-02079945	LTR/PAYEE/05	MISTILA LAKRA	MISTILA LAKRA	LALU LAKRA	26 / F	SVNSPY	SERENDAG	Bank	Yes	Yes	SANCTIONED
0	JH-A-02080972	DRN/PAYEE/1	PRABHA KUJUR	PRABHA KUJUR	MIKHIEL KUJUR	31 / F	SVNSPY	SERENDAG	Bank	Yes	Yes	SANCTIONED
1	JH-A-02099247	LTR/PAYEE/33	HANESHWAR ORA	HANESHWAR ORAON	TEJA ORAON	69 / M	SVNSPY	MERAL	Bank	Yes	Yes	SANCTIONED
2	JH-A-02099256	LTR/PAYEE/33	PAHRU SINGH	PAHRU SINGH	SITA SINGH	29 / M	SVNSPY	HARHE	Bank	Yes	Yes	SANCTIONED
3	JH-A-02149321	374/17-18	VISHVNATH SING	VISHVNATH SINGH	THEGA SINGH	67 / M	SVNSPY	LAT	Bank	Yes	Yes	SANCTIONED
4	JH-A-02149322	JH-S-0591652	DHARMDEV SING	DHARMDEV SINGH	ANTU SINGH	65 / M	SVNSPY	LAT	Bank	Yes	Yes	SANCTIONED
5	JH-A-02149343	748/16-17	DURJAN SINGH	DURJAN SINGH	BALDEV SINGH	65 / M	SVNSPY	LAT	Bank	Yes	Yes	SANCTIONED
6	JH-A-02153429	JH-S-0596881	RAJMOHAN LOH	RAJMOHAN LOHRA	JAGDEV LOHRA	65 / M	SVNSPY	LAT	Bank	Yes	Yes	SANCTIONED

STATUS वाले कॉलम में इनका मतलब क्या है?

POST_DISCONTINUED
SANCTIONED
DONE

POST_DISCONTINUED: जिन पेंशनधारक की पेंशन को बंद कर दिया गया है

SANCTIONED: जिनकी पेंशन चालू यानि **ACTIVE** है

DONE: NFBS स्कीम का वन टाइम पेमेंट हो चुका है

जैसे **SUGAPATI DEVI HARHE** गाँव के रहने वाले परिवार को **NFBS** का **20,000 RS** एक बारी मिल चुका है

Disbursement Mode	Aadhar Verified	Seeded with Bank
Bank	Yes	Yes
Bank	Yes	No

इन तीन कॉलम का मतलब क्या है?

DISBURSEMENT MODE: BANK यानि पेंशन का पैसा खाते में मिल है जैसे **CASH MODE** भी था

AADHAAR VERIFIED: पेंशन धारक की आधार और पोर्टल में दी गई जानकारी की जांच हुई है तो **YES** अथवा **NO**

SEEDED WITH BANK: अगर पेंशन धारक का आधार उनके बैंक से जुड़ा हुआ है तो **YES** अथवा **NO**

अध्याय 3: भुगतान प्रक्रिया

आधार आधारित भुगतान **(APB mode)**	ख़ाता आधारित भुगतान **(Non-APB mode/ Account mode)**
- 12 डिजिट का आधार नंबर	- ख़ाता धारक का नाम - ख़ाता नंबर - IFSC

आधार आधारित भुगतान भुगतान (APB mode) में भुगतान होने के लिए कुछ ज़रूरी परिभाषाएं

1. **Aadhaar seeding** - आधार सीडिंग का मतलब है की पेंशनधारी का आधार कार्ड उनके पेंशन में लिंक हुआ है. सीडिंग के लिए केवल ब्लॉक में पेंशन का आवेदन देते समय आधार कार्ड देना होता है.

2. **Aadhaar authentication/verification** - आधार औथेंतीकेशन एक सत्यापन का तरीका है. इस प्रक्रिया में पेंशनधारी की जानकारी उन के आधार में दी गयी जानकारी से मैच की जाती है, UIDAI के द्वारा. इस में नाम की सही स्पेलिंग, उमर वग़ैरह सब चेक किया जाता है. अगर कोई भी जानकारी मैच ना करे तो सत्यापन असफल रहता है. इस से पेंशन के भुगतान में समस्या आ सकती है.

3. **NPCI Mapping** - NPCI यानी नैशनल पेमेंट कॉर्पोरशन ऑफ इंडिया . NPCI मैपर के डाटा में यह जानकारी होती है की कौन-सा आधार नंबर कौन-सा बैंक से जुड़ा है। यह लिंकिंग बैंक के IIN या इन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर से होती है। इस लिंक के द्वारा हक़दार को APB प्रणाली से पैसे मिलते हैं.
ये याद रखना ज़रूरी है की KYC और NPCI मैपिंग अलग हैं. KYC करवाने से NPCI मैपिंग नही होती. हक़दार के बैंक की ज़िम्मेदारी है NPCI मैपिंग ठीक से करना.

Table 3.1: झारखंड में पेंशनधारियों के आधार लिंकिंग की स्थिति[3]

	Total pensioners	Aadhaar Seeding (A)	NPCI Mapped (B)	Aadhaar Seeding Gaps (A- B)	Aadhaar Seeding Gaps % (A- B)
Jharkhand	3919120	3793864	2545149	1248715	31.862

Retrieved from NSAP Report 17.Aadhaar Detail on 11.03.24

[3] For district and block wise data on different pension scheme coverage and aadhaar seeding status, follow this link

Fig 3.1: आधार सीडिंग

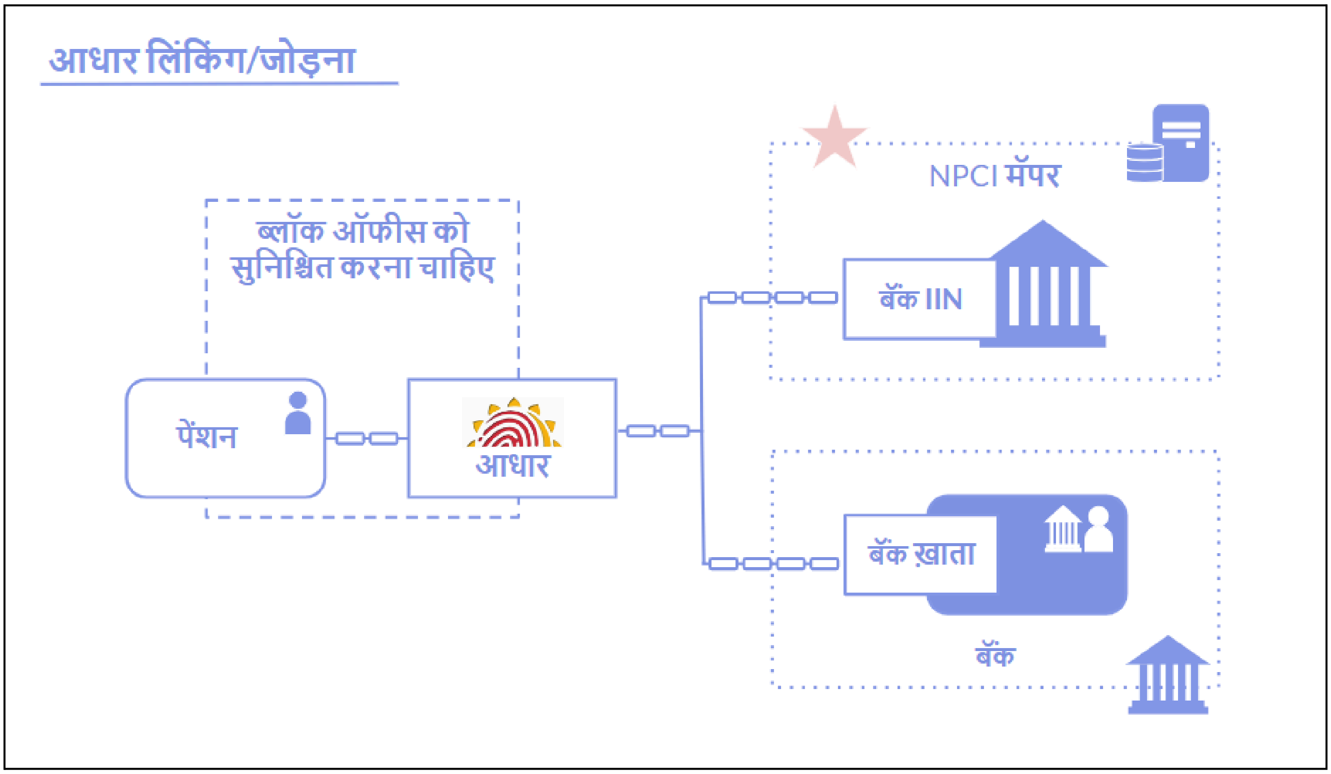

Fig 3.2: पेंशन की भुगतान प्रक्रिया

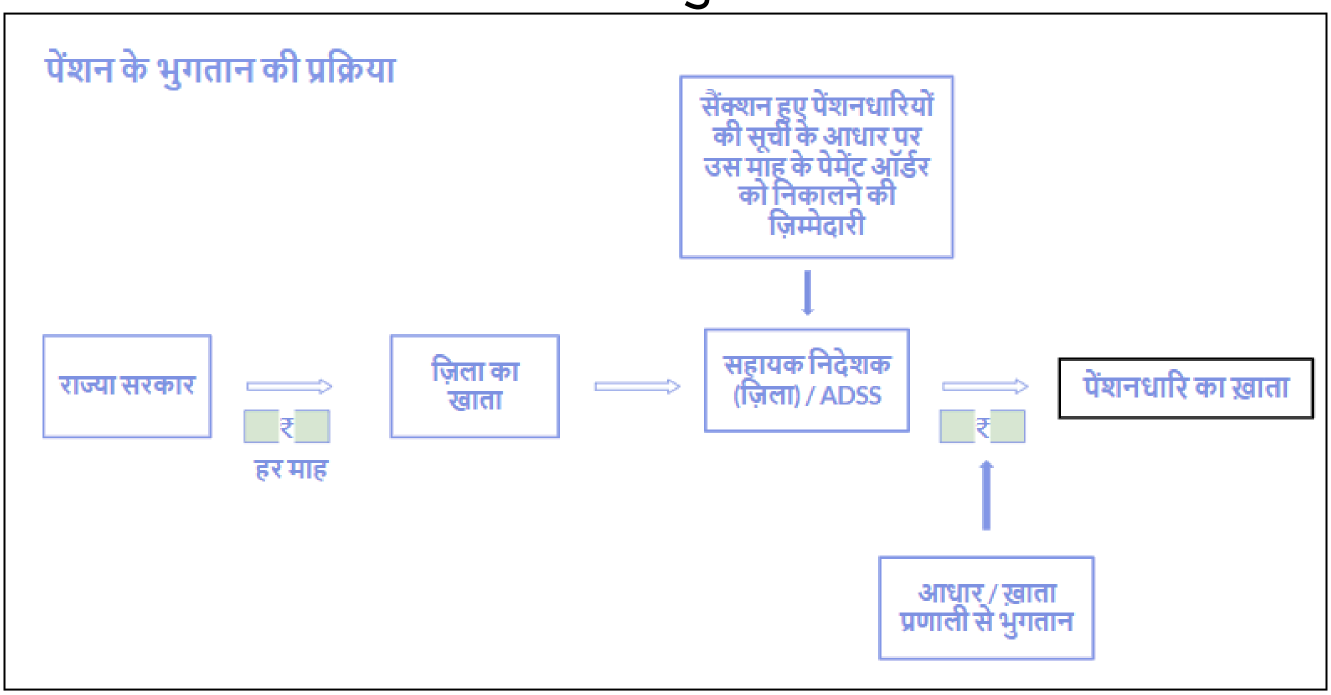

अगर भुगतान की प्रक्रिया में कोई तकनीकी दिक्कत हो तो भुगतान में समस्या आ सकती है जिस के कारण पेंशनधारी को अपनी पेंशन मिलने में दिक्कत हो सकती है. सही से भुगतान होने के लिए ज़रूरी है की सारे लिंक ठीक से किए जायें और सारी जानकारी मैच करे. रिजेक्टेड पेमेंट एक ऐसा ही असफल भुगतान है जो कई पेंशनधारीओं के साथ होता है.

रिजेक्टेड पेमेंट में तकनीकी कारण की वजह से भुगतान असफल रहता है. जैसे अबप प्रक्रिया में कोई लिंक ठीक से ना होने, खाते में गड़बड़ी होना. ऐसे में सरकार का भेजा पैसा पेंशनधारी के खाते में नही पहुच पता और वापस सरकार के खाते में चला जाता है. अगर रिजेक्ट पेमेंट के पीछे का कारण सुलझाया नही जाएगा तो उस भुगतान का बार बार रिजेक्ट होने की संभावना है.

3.1 सफल पेमेंट के लिए चेकलिस्ट:

1. हक़दार का खाता प्रयोग में रहना चाहिए - कोशिश करें हर 6 माह में कोई लेन-देनज़रूर हो
2. KYC - या तो कम से कम हर साल में एक बार बैंक में KYC अपडेट कीजिए. या फिर आधार सत्यापन के लिए eKYC करवाए बैंक या CSP में.
3. सूनीश्चित करें की सारी जानकारी और स्पेलिंग मैच करे - खाता नंबर, आधार नंबर, नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि पूरी लिखी हो.

3.2 ABP mode/ आधार भुगतान के लिए चेकलिस्ट :

1. सूनीश्चित करें की आधार के सारे लिंकिंग ठीक से हुए हों - आधार और खाता (KYC), आधार और NPCI मॅपर
2. ध्यान रखें - एक आधार नंबर अनेक बँक खातों से लिंक हो सकता है. ऐसे में, जो भी सब से आखरी में लिंक खाता होगा, उस में ABP वाला पैसा जाएगा. जिस भी खाते में आखरी बार KYC करवाया था, वही ABP वाला खाता बन जाता है.
3. सूनीश्चित करें की NSAP पोर्टल में 'Aadhaar seeded with bank (NPCI status)' ऐकटिव हो

Fig 3.3: पेंशन रिजेक्ट और उसके समाधान की प्रक्रिया

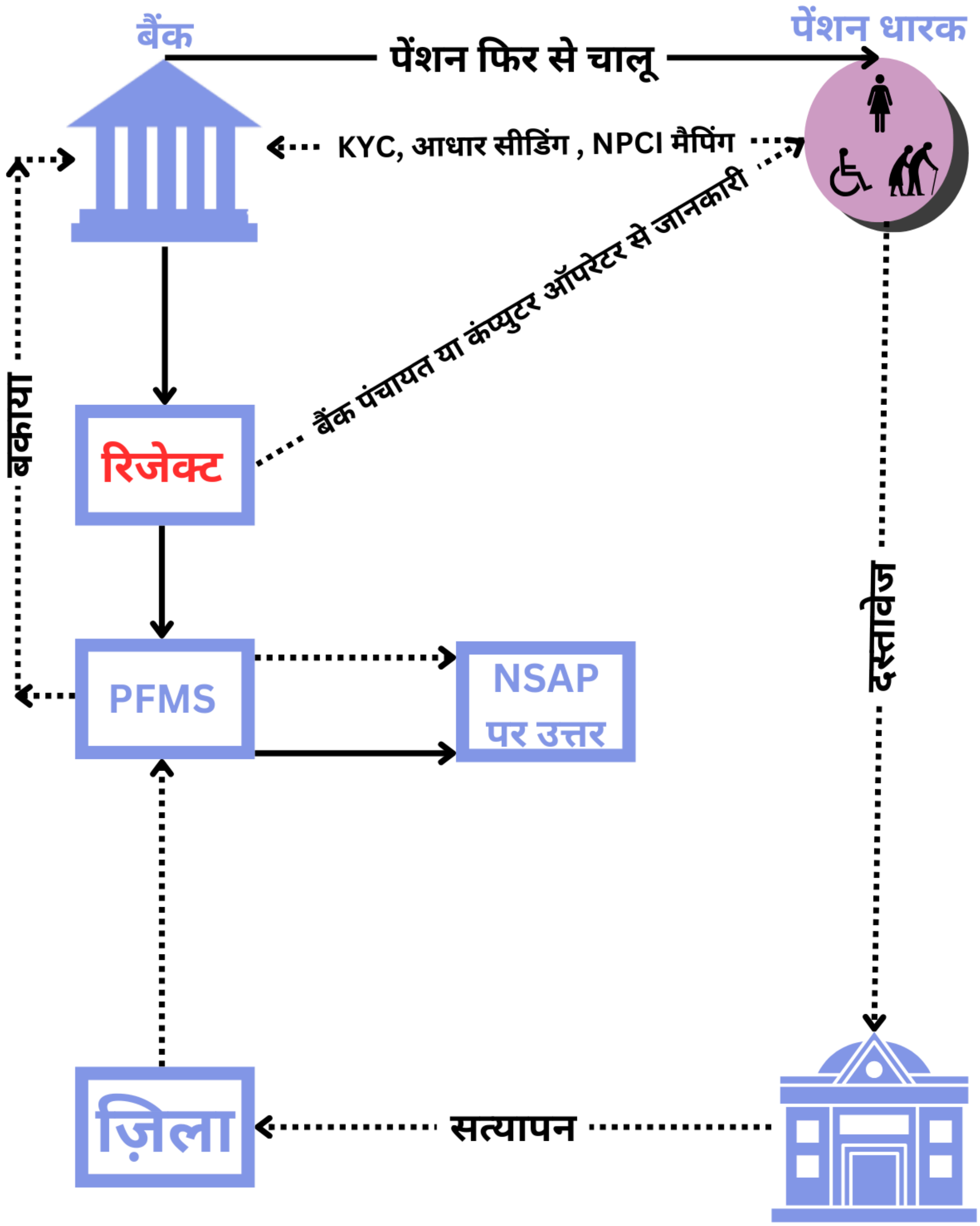

अध्याय 4: पेंशन प्रक्रिया में विभिन्न समस्या के समाधान

Fig 4.1: पूर्व-पंजीकरण बहिष्करण (Exclusions)- सामान्य अवलोकन

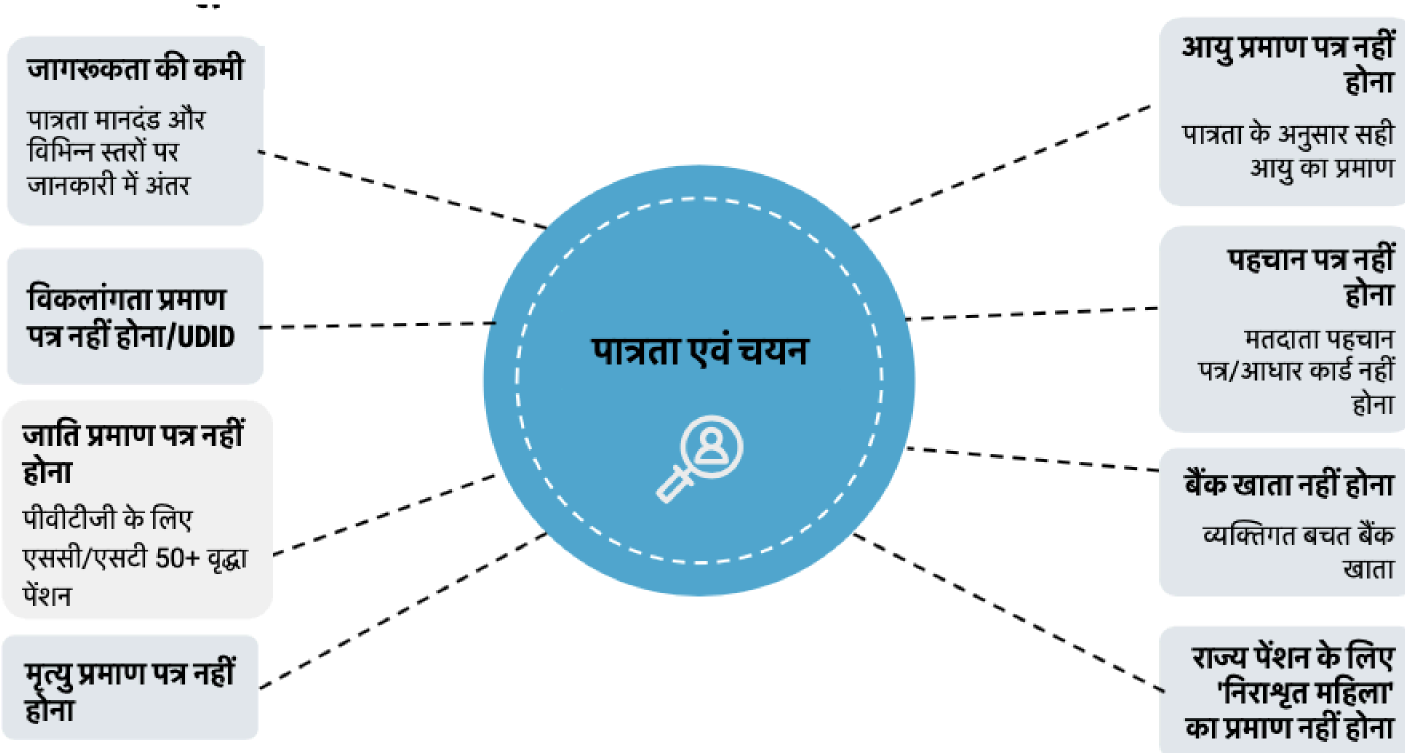

4.1: प्री-रजिस्ट्रेशन के मुद्दे और समाधान **-** पेंशन सैंक्शन होने से पहले वंचित होने पर

मुद्दा	समाधान/हल
आवेदन देने की प्रक्रिया नहीं जानते / कौन-कौन योग्य हैं / क्या दस्तावेज की ज़रूरत है	उनको निचे दिए गये बिन्दुओं के बारे में जानकारी दें - 1. आवेदन देने की प्रक्रिया, 2. पेंशन की योग्यता 3. किन दस्तावेज की ज़रूरत है

मुद्दा	समाधान/हल
विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं होने पर	पहला कदम - दिव्यांग व्यक्ति को इसके लिए ज़िला अस्पताल जाना होगा जहाँ मेडिकल ऑफिसर परिक्षण करके विकलांगता का प्रतिशत तय करेंगे और इसके आधार पर विकलांगता प्रमाण पत्र बनेगा। - विकलांग व्यक्ति जो अकेले रहते हैं और उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं है, वे पंचायत कर्मी से उनके साथ जिला अस्पताल जाने का अनुरोध कर सकते हैं। - कभी कभी ग्राम स्तर में विकलांगता परीक्षण के लिए कैंप भी लगाये जाते हैं और लोगों को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। - लातेहार में मंगलवार और शनिवार में मेडिकल ऑफिसर उपस्थित होते हैं दूसरा कदम - यदि विकलांगता का प्रतिशत **40%** या उससे अधिक हो तो इस प्रमाण पत्र के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज और आवेदन पत्र को ग्रामीण क्षेत्र में ब्लाक ऑफिस (प्रखंड पदाधिकारी) और शेहेरी क्षेत्र में आँचल पदाधिकारी को जमा करें। - यदि ब्लाक ऑफिस जाना संभव नहीं हो पता है तो पंचायत कर्मी जैसे पंचायत सेवक, आंगनवाड़ी कर्मी या ग्राम मुखिया को भी दे सकते हैं जो आगे ब्लाक में आगे दे देंगे। यदि अन्य आवश्यक दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, बैंक खता का विवरण, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, वोटर **id**) उपलब्द न हो तो निचे दिए गये दस्तावेज भी आवेदन में दिया जा सकता है - डाक विभाग द्वारा जारी किया पोस्ट ऑफिस ID कार्ड - जाती एवं निवास प्रमाण पत्र - फोटो और पता संयुक्त KISAN पासबुक या विधायक/ संसाद/ ग्रुप-A गज़ेतेद ऑफिसर द्वारा जारी किया गया पहचान और पता का प्रमाण - पंचायत के मुखिया द्वारा जारी फोटो आईडी प्रमाण पत्र - फोटो सहित राशन कार्ड भी दिया जा सकता है।

मुद्दा	समाधान/हल
UDID नहीं होने पर -	क्या **UDID** पेंशन का आवेदन देने के लिए ज़रूरी है ? - नहीं, अगर विकलांगता प्रमाण पत्र है तो **UDID** कार्ड पेंशन का आवेदन देने के लिए ज़रूरी नहीं है I हालाँकि दिनांक 1.04.2023 से अन्य सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए से UDID का होना अनिवार्य है I - विकलांगता की गंभीरता के आधार पर तीन रंग के **UDID** कार्ड है - - सफ़ेद कार्ड: 40% से कम विकलांगता पर - पीला कार्ड : 40% से 80% के बीच में विकलांगता होने पर - नीला कार्ड: 80% से ऊपर विकलांगता होने पर **UDID** कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया - 1. UDID पोर्टल में जाएँ https://www.swavlambancard.gov.in/ 2. 'Apply for Disability Certificate and UDID card' में जाएँ I 3. दिए गये फॉर्म को भरें I जरूरी दस्तावेज: आधार नंबर, पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण, विकलागता प्रमाण पत्र (अगर उपलब्ध हो), फोटो, मोबाइल नंबर के डालकर 'submit' करेंI 4. यदि व्यक्ति के पास विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं है: आवेदन को विकलांग व्यक्ति के निवासी जिले के अधिसूचित चीफ मेडिकल ऑफिसर (सी.एम.ओ) या ज़िला स्थर के मेडिकल ऑफिसर (डी.एम.ओ) को भेजा जाता है I आवेदन के सत्यापन के बाद, सी.एम.ओ/डी.एम.ओ सत्यापित के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्त करते हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर एक निश्चित तिथि पर दिव्यांगजन का मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को सौंपता है। मेडिकल बोर्ड दिव्यांगता के प्रतिशत और प्रकार, दिव्यांगता प्रमाणपत्र की वैधता और दिव्यांगजन के ऐसे अन्य मुद्दों पर निर्णय लेता है। मेडिकल बोर्ड अपने निर्णय की सूचना संबंधित सीएमओ/डीएमओ को देता है। सीएमओ/डीएमओ द्वारा भरे गए मूल्यांकन विवरण के आधार पर, एक UDID कार्ड तैयार किया जाता है। UDID कार्ड की डिलीवरी के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही संबंधित मेडिकल ऑफिस द्वारा UDID कार्ड तैयार किया जाता है, फिर प्लास्टिक UDID कार्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाता है।
जाति प्रमाण पत्र नहीं होने पर (आदिम जनजाति और पुरुष 50+ वृद्धा पेंशन के लिए)	पहला कदम: अपना समूह को पहचानें - - अनुसूचित जनजाति समूह के लिए/ आदिम जनजाति के लिए - झारखंड राज्य की केंद्रीय सूची/सूची में विशिष्ट एससी/एसटी समूह की क्रम संख्या और संकल्प संख्या प्राप्त करें Iअनुसूचित जनजातियों की अधुनातन सूची (राज्य और केंद्र क्षेत्र भर में) किसी भी समय जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। Latest List of Scheduled Tribes.pdf

मुद्दा	समाधान/हल
	- <u>अनुसूचित जाति समूह के लिए</u> - अनुसूचित जातियों की अधुनातन सूची सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर अनुसूचित जाति कल्याण पर जाकर और फिर अनुसूचित जातियों की सूची पर क्लिक करके पाई जा सकती है। [List of Scheduled Castes | Department of Social Justice and Empowerment - Government of India] - <u>OBC समूह के लिए</u> क्रम संख्या और संकल्प संख्या के साथ ओबीसी की राज्यवार सूची राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। Central List of OBCs दूसरा कदम: आवेदन की प्रक्रिया - आवश्यक दस्तावेज़: 1. <u>पहचान प्रमाण</u> - आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, डाक विभाग द्वारा जारी कोई भी फोटो आईडी, ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा जारी फोटो आईडी प्रमाण पत्र, डाकघर या किसी अनुसूचित बैंक की वर्तमान पासबुक, स्वतंत्रता सेनानी फोटो आईडी कार्ड, फोटोयुक्त किसान पासबुक, फोटोयुक्त राशन कार्ड (आधार अनिवार्य नहीं है); 2. <u>पते का प्रमाण</u> - डाक विभाग द्वारा जारी कोई भी आईडी जिस पर पता लिखा हो, निवास प्रमाण पत्र, किसी डाकघर या अनुसूचित बैंक की पासबुक जिसमें पता लिखा हो, किसान पासबुक जिसमें पते का उल्लेख हो, राशन कार्ड, सांसद द्वारा जारी फोटोयुक्त पते का प्रमाण पत्र। / विधायक / समूह ए राजपत्रित अधिकारी / ग्राम पंचायत मुखिया (5+ वर्ष के निवास प्रमाण सहित), जाति का प्रमाण (व्यक्ति की जाति की पुष्टि करने वाले मुखिया का अनुशंसा पत्र / भूमि से संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें जाति का उल्लेख किया गया है / की रिपोर्ट) आवेदक की जाति से संबंधित पटवारी/तहसीलदार), खतियान की फोटोकॉपी (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जैसा कुछ) 3. आय प्रमाण पत्र 4. आवेदक का फोटो - आवेदन के लिए फॉर्म भरें: जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट - 1, 2, 3 - भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंचायत मुखिया/प्रखंड स्तर पर जमा करें। - आवेदन का सत्यापन ब्लाक स्तर पर अंचल पदाधिकारी और जिला स्तर डीसी द्वारा किया जाता है।

मुद्दा	समाधान/हल
अपना सही आयु का प्रमाण देने के लिए दस्तावेज नहीं है	यह किन के लिए ज़रूरी है ? 1. 50 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के महिला के लिए 2. 50 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के ST/SC पुरुष के लिए 3. 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के अन्य पुरुषों के लिए इन दस्तावेजों का उपयोग आयु प्रमाण के रूप में किया जा सकता है - जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट या किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड। यदि कोई भीदस्तावेज न हो - आधार या वोटर ID बनवा लें यदि आधार कार्ड या वोटर **ID**में से एक में उम्र गलत हो ? यदि आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र में से एक में उम्र गलत है, तो सही उम्र सत्यापित करने के लिए गलत उम्र वाले दस्तावेज में सुधार करने के लिए अन्य दस्तावेज़ का उपयोग किया जा सकता है।
वोटर कार्ड नहीं होने पर	**18** वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक वोटर आईडी बनवाने के लिए पात्र हैं। आवश्यक दस्तावेज़: आयु प्रमाण, पता प्रमाण, फोटो। वोटर आईडी बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया: 1. राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर जाएं। https://voters.eci.gov.in/ 2. सभी आवश्यक क्रेडेंशियल्स के साथ नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें। 3. नए निर्वाचक या मतदाता के रूप में पंजीकरण करें। 4. फॉर्म 6 - नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र पर क्लिक करें। 5. फॉर्म भरें और सबमिट करें. इसके बाद, कोई आपत्ति नहीं उठाए जाने पर 7 दिनों की अवधि के बाद उन व्यक्ति का नाम चुनावी सूची में शामिल किया जाता है। ऑफ़लाइन प्रक्रिया: 1. निकटतम प्रज्ञा केंद्र से आवेदन पत्र प्राप्त करें। 2. फॉर्म 6 भरें और सबमिट करें। 3. जमा करने के बाद, बूथ स्तर का अधिकारी पते का सत्यापन करने के लिए आपके निवास पर आ सकता है। इसके बाद, कोई आपत्ति नहीं उठाए जाने पर 7 दिनों की अवधि के बाद किसी व्यक्ति का नाम चुनावी सूची में शामिल किया जाता है।
मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने पर	यह किन के लिए ज़रूरी है ?

मुद्दा	समाधान/हल
	उन महिला के लिए जिनके पति की मृत्यु हो गयी है अत: विधवा पेंशन का आवेदन देने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़: आवासीय प्रमाण, रिश्ते का प्रमाण, मृत्यु का सही स्थान, तारीख और समय बताने वाला एक एफिडेविट। पति की मृत्यु को कितने दिन बीत चुके हैं उसके आधार पर आवेदन करने की प्रक्रिया: - 1- 25 दिन: मृत्यु प्रमाण पत्र सीधे पंचायत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। - 26 दिन - 1 वर्ष: मृत्यु प्रमाण पत्र ब्लॉक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। - 1 वर्ष के बाद: प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन पत्र लिखना होगा। आवेदन पर पंचायत मुखिया का हस्ताक्षर कर प्रखंड को भेजा जायेगा। बी.डी.ओ इस पर हस्ताक्षर कर जिला को भेजेंगे। जिला से अनुमोदन के बाद आवेदन को एस.डी.ओ के पास भेज दिया जाता है। एस.डी.ओ ब्लॉक को एक आदेश जारी करता है और फिर ब्लॉक स्तर पर प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 3 महीने का समय लगता है।
बैंक खाता नहीं होने पर	नया बैंक खाता खोलने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निकटतम **CSP/BC** प्वाइंट या बैंक शाखा पर जाएं - - 2 आवेदक का फोटो, - पहचान का एक प्रमाण: पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड या नरेगा जॉब कार्ड - पते का प्रमाण यदि पहचान के प्रमाण में पता शामिल है, तो एक पहचान पर्याप्त है। क्या पैन कार्ड बैंक खाता खोलने में अनिवार्य है ? नया खाता खोलने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी उनका होना मददगार है। क्या आधार कार्ड नया खाता खोलने के लिए अनिवार्य है ? नया बैंक खाता खोलने के लिए अब आधार अनिवार्य है। आधार के बिना बैंक खाता खोला जा सकता है लेकिन चूंकि बायोमेट्रिक authentication संभव नहीं है, इसलिए कोई व्यक्तिCSP/BC पॉइंट आदि से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। नया बैंक खता खोलने की प्रक्रिया - 1. आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें। 2. खाता खुलने के बाद CSP/BC प्वाइंट से एक पासबुक लें। 3. खाता खोलने के लिए किसी पैसे की आवश्यकता नहीं है; केवल न्यूनतम शेष राशि (मानदंडों के अनुसार) बनाए रखी जानी है। 4. जीरो बैलेंस खाते CSP/BC प्वाइंट से खोले जा सकते हैं।

मुद्दा	समाधान/हल
एकल महिला/ परित्यक्त महिला होने का प्रमाण नहीं होने पर	1. मुखिया एवं पंचायत सेवक द्वारा सत्यापत प्रमाण पत्र : पंचायत मुखिया एवं पंचायत सेवक के पास जाएं और उनसे यह प्रमाणित करने का अनुरोध करें कि आप 'निराश्रित' हैं- यानी 45 वर्ष से ऊपर के एकल महिला या विवाहित होने के बाद परित्यक्त महिला हैं और असहाय हैं । 2. पेंशन का लाभ उठाने के लिए पहचान प्रमाण पत्र, बैंक खाते के विवरण और सत्यपान प्रमाण पत्र ब्लॉक में जमा करें। 3. कभी-कभी आपसे यह स्व-घोषणा पत्र देने के लिए कहा जा सकता है कि आप दोबारा शादी नहीं करेंगे।

4.1.1: आधार के संबंध में मुद्दे

मुद्दा	समाधान/हल
आधार नहीं होने पर	निचे दिए गये दस्तावेज से साथ प्रज्ञा केंद्र/आधार सेंटर जायें: 1. पहचान प्रमाण के लिए: पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, सर्विस फोटो id, पेंशनर फोटो id, पेंशन पेमेंट आर्डर, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट id, मनरेगा जॉब कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ट्रांसजेंडर id, 10वीं बोर्ड का मार्कशीट। यदि ये सब भी न हो तो, अत्तेस्तेद फोटो के साथ एक पत्र गज़ेत्तेद ऑफिसर द्वारा हक्स्ताक्षर किया हुआ ज़ारी किया जा सकता है। 2. पता प्रमाण पत्र: फ़ोन बिल, गैस का बिल, बिजली का बिल जिसमें पता लिखा हुआ हो और तीन महिमहिने से पुराना न हो; मुनिसिपलिटी टैक्स रसीद, बैंक या पोस्ट ऑफिस सेविंग खता का स्टेटमेंट, सरकारी ऑफिसर द्वारा हक्स्ताक्षर किया हुआ मनरेगा जॉब कार्ड, ग्राम पंचायत मुखिया/सांसद/विधायक/ग्रुप ए राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पते का प्रमाण पत्र)। 3. फ़ोन नंबर: अपना या अपने परिवार में से कोई सदस्य का फ़ोन नंबर। यह बहु ज़रूरी है क्यूंकि इस्सी नंबर पर OTP बेझा जायेगा जो नया आधार बनवाने में ज़रूरी होगा। साथ ही साथ अगर मोबाइल नंबर दर्ज नहीं करवाएंगे तोह बाकि अन्य सेवाएँ जैसे बखाता में से निकासी, आधार को बाकि दुसरे दस्तावेज जैसे जॉब कार्ड में लिंक करना, अपना बायोमेट्रिक अपडेट करना, इत्यादि नहीं करवा पाएंगे। **5** साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए: - जन्म प्रमाण पत्र जिसमें बच्चे के नाम के साथ साथ घर के मुखिया(बच्चे का माता/ पिता/गौर्डियन) का नाम भी दर्ज हो। - घर के मुखिया का अपना आधार की भी ज़रूरत होगा। उनका बायोमेट्रिक भी दर्ज किया जायेगा। अनाथ बच्चों के लिए यू.आई.डी.ए.आई द्वारा दिया गया फॉर्मेट में एक सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है जिसमें अनाथालयों के संस्थान

	प्रमुख/अधीक्षक/मैट्रन/वार्डन द्वारा जारी मानक किया जाये । - पहचान को प्रमाण करने के लिए फोटो id कार्ड / निवास पत्र/ जाति प्रमाण पत्र/ डिसेबिलिटी पत्र इतियादी जिसमें बच्चे का नाम स्पष्ट हो बच्चों का बायोमेट्रिक 5-7 वर्ष में और एक बार 15-17 वर्ष में निशुल्क अपडेट करवाया जा सकता है अन्यथा शुल्क भरना पड़ेगा सभी विवरण यहाँ दिया गया है - 26_JAN_2023_Aadhaar_List_of_documents.pdf नया आधार बनाने के लिए 30 दिन लग जाता है
आधार में उम्र, नाम और पते का मिलन नहीं होने पर	आधार में सुधार करवाने के लिए कराने के लिए सही दस्तावेजों (मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड) के साथ निकटतम प्रज्ञा केंद्र पर जाएं। जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए: यू.आई.डी.ए.आई वेबसाइट के अनुसार, जन्मतिथि को जीवनकाल में केवल <u>एक बार</u> ही अपडेट किया जा सकता है। हालाँकि, यदि कारण सही है, तो 'अपवाद प्रबंधन प्रक्रिया (exception handling process)' के माध्यम से एक से अधिक बार जन्मतिथि को बदला जा सकता है। - उम्र अपडेट करने के लिए - अगर हकदार कोई और सरकारी दस्तावेज के आधार पर बदलाव करना चाहते हैं तो स्वं-प्रमाणित पत्र और वही दस्तावेज के साथ अपना आवेदन दे सकते हैं। बच्चों स्वं-प्रमाणित पत्र में उनके उनके गौर्डियन भी हक्स्ताक्षर कर सकते हैं। - उम्र बदलाव करने के बाद भी अगर टाइपिंग एरर के वजह से उम्र अपडेट गलत हुआ है तो हक़दार उसी दस्तावेज के आधार पर बदलाव करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। नाम में सुधार करने के लिए: नाम में सुधार करने के लिए जीवनकाल में केवल <u>दो बार</u> ही अपडेट किया जा सकता है। - अगर हकदार टाइपिंग एरर के वजह से अपना नाम में सुधार करवाना चाहता है तो वह दुसरे दस्तावेज के आधार पर कर सकता है। इस बदलाव को परिवर्तन के अवसर के रूप में नहीं देखा जायेगा। - पूर्ण नाम परिवर्तन के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हैं। हालाँकि, इसका अनुरोध करने वाले व्यक्ति को अन्य सरकारी दस्तावेज़ के रूप में नाम परिवर्तन कर सकते हैं । पता अपडेट करने के लिए: ऑफलाइन प्रक्रिया - प्रज्ञा केंद्र जाएं और "आधार अपडेट फॉर्म" लेकर उसे भरें। - अपने नया पते का प्रमाण के तौर पर सरकारी दस्तावेज के साथ अपना आधार अपडेट फॉर्म सबमिट करें - एप्लीकेशन का शुल्क जमा करें। अभी रु. 50 लिया जाता है। - अपना फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन करवाएं ऑनलाइन प्रक्रिया

	- my-Aadhaarपोर्टल में जा कर लॉग इन करें। लॉग इन करते वक़्त रजिस्टर्ड मोबाइल के द्वारा पता बदला जा सकता है
भुगतान डाइवर्ट होने पर (रजिस्टर्ड खता के बजाय अपना दूसरा खाता में पैसा आना)	1. जब आपके रजिस्टर्ड खाता में पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है तो अपने प्रखंड ऑफिस जायें और पता करें की आपका किस खाता में पेंशन का पैसा गया है। 2. अपना उस रजिस्टर्ड खता वाला बैंक/सी.एस.पी/बी.सी. पॉइंट से ekyc करवाएं **KYC** प्रक्रिया: 1. बैंक से KYC फॉर्म लें। 2. पैन और आधार का विवरण दें 3. एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पहचान और पता प्रमाण दस्तावेज हभी डालें 4. फोटो डालें 5. अपना बायोमेट्रिक स्कैन करें इसके बाद प्रखंड स्तर पर अपना बैंक खाता को प्रखंड कार्यालय में अपडेट करवाएं।

Fig 4.2: पंजीकरण के बाद बहिष्करण (Exclusion) के मुद्दे

4.2 पोस्ट-रजिस्ट्रेशन के मुद्दे और समाधान - पेंशन सैंक्शन होने के बाद के मुद्दे

4.2.1 विलोपित **(DISCONTINUED)** पेंशन - पेंशन को रोक दिया जाना:

मुद्दा	समाधान/हल
राज्य में ही पलायन किया हो, जिसके वजह से पेंशन रुक गया	ज़रूरी दस्तावेज: 1. पेंशनधारक को उन बी.डी.ओ को एक आवेदन [फॉर्मेट] जमा करना होगा जिन क्षेत्र में वह अब स्थानांतरित हुए है, जिसमें पते में बदलाव के बारे में बताना होगा, नए निवास का प्रमाण देना होगा और अपनी पेंशन को वापस शुरू करने के लिए अनुरोध करना होगा। 2. नए निवास का प्रमाण प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति अपने मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो) पर अपना पता बदलवा सकता है और प्रमाण के तौर पर दे सकते हैं । यदि ऊपर दिए गये दस्तावेज में पता नहीं बदलवाना चाहते- 1. तो वह नए पते पर नया राशन कार्ड बनवाना सकते हैं। 2. वैकल्पिक रूप से, वे अपने बदले हुए पते के साथ कोई भी सरकारी फोटो पहचान पत्र (किसान कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, ग्राम पंचायत मुखिया/सांसद/विधायक/ग्रुप ए राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पते का प्रमाण पत्र) प्राप्त कर सकते हैं और फिर उस दस्तावेज़ का उपयोग करके आवेदन कर सकते हैं।
कहीं भी पलायन नहीं किया है पर पेंशन रोक दिया गया है पलायन का कारण दे के	पलायन नहीं किये हैं को प्रमाणित करने के लिए - ज़रूरी दस्तावेज: 1. बीडीओ को संबोधित एक आवेदन पत्र [फॉर्मेट] लिखें जिसमें उल्लेख हो कि आपने कभी पलायन नहीं किया है। 2. निवास का प्रमाण और पहचान का प्रमाण प्रदान करें - राशन कार्ड / आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र। यदि कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है ? मुखिया से संपर्क करें और उनसे एक हस्ताक्षरित दस्तावेज़ देने का अनुरोध करें जो प्रमाणित करता हो कि आप उस गाँव के निवासी हैं और कभी पलायन नहीं किया है। 3. बैंक खाते का विवरण प्रदान करें। - आवेदन मुखिया को जमा करें (जो इसे बीडीओ को अग्रेषित करेगा) या सीधे बीडीओ/ब्लॉक कंप्यूटर ऑपरेटर को जमा करें। - प्राप्ति/आवेदन क्रमांक लें एक बार जब आवेदन ब्लॉक में पहुंच जाता है और सत्यापित हो जाता है, तो ब्लॉक कंप्यूटर ऑपरेटर पेंशन वापस शुरू करने के लिए आवेदन को जिले (एडीएसएस) को भेज देगा जो पेंशन को मंजूरी देता है और पेंशन वापस शुरू करते हैं ।

कुछ समय के लिए पलायन किये थे पर अब वापस आ गये	पलायन करके वापस आने पर प्रमाणित करने के लिए - ज़रूरी दस्तावेज: 1. मुखिया/बीडीओ को अपने पलायन का कारण, वापसी का कारण, पेंशन वापस शुरू करने का अनुरोध बताते हुए एक पत्र (फॉर्मेट) लिखें। 2. निवास का प्रमाण और पहचान का प्रमाण प्रदान करें - राशन कार्ड / आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र। यदि कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है? मुखिया से संपर्क करें और उनसे एक हस्ताक्षरित दस्तावेज़ देने का अनुरोध करें जो प्रमाणित करे कि आप उस गाँव के निवासी हैं, (जो भी कारण पलायन कर गए थे वेह लिखे और अब वापस लौट आए हैं और आप पेंशन के लिए योग्य हैं और वापस पेंशन शुरू करने का अनुरोध करना चाहते हैं। 3. बैंक खाते का विवरण प्रदान करें. - आवेदन मुखिया को जमा करें (जो इसे बी.डी.ओ को फॉरवर्ड करेगा) या सीधे बी.डी.ओ/ब्लॉक कंप्यूटर ऑपरेटर को जमा करें। - प्राप्ति/आवेदन क्रमांक लें। एक बार जब आवेदन ब्लॉक में पहुंच जाता है और सत्यापित हो जाता है, तो ब्लॉक कंप्यूटर ऑपरेटर पेंशन वापस शुरू करने के लिए आवेदन को जिले **(ADSS)** को भेज देगा जो पेंशन को मंजूरी देता है और पेंशन वापस शुरू करते हैं।
राज्य के बहार पलायन किये हैं	पेंशन के लिए दोबारा अप्लाई करें
पेंशनधारक मिल नहीं रहे हैं	

4.2.2 गलती से मृत्यु घोषित करने पर

मुद्दा	समाधान/हल
जीवित है पर मृत्यु घोषित कर के पेंशन रोक दिया गया है	जीवित प्रमाणित करने के लिए समाधान - - ज़रूरी दस्तावेज: 1. बी.डी.ओ को संबोधित एक आवेदन [फॉर्मेट] लिखें जिसमें यह उल्लेख हो कि आपको गलती से मृत घोषित कर दिया गया है। 2. साथ में निवास और पहचान का प्रमाण प्रदान करें - राशन कार्ड / आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र। यदि कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है ? पंचायत मुखिया से संपर्क करें और उनसे एक हस्ताक्षरित दस्तावेज देने का अनुरोध करें जो प्रमाणित करे कि आप उस गांव के निवासी हैं और जीवित हैं, और आपको गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया गया है। इस आवेदन को मुखिया और गांव के तीन अन्य गवाहों से सत्यापित कराएं। 3. आवेदन के साथ बैंक खाता विवरण (पासबुक/CSP बैंक आईडी) की फोटोकॉपी प्रदान करें। - ज़रूरी दस्तावेज के साथ आवेदन पंचायत कर्मचारी/बीडीओ/ब्लॉक कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जमा करें

	- प्राप्ति/आवेदन क्रमांक लें एक बार जब आवेदन ब्लॉक में पहुंच जाता है और सत्यापित हो जाता है, तो ब्लॉक कंप्यूटर ऑपरेटर पेंशन वापस शुरू करने का आवेदन को जिले (ए.डी.एस.एस) को भेज देगा जो पेंशन को मंजूरी देता है और पेंशन वापस शुरू करते हैं ।

अगर किसी का पेंशन बंद हुआ है तो उसको कैसे देखे? क्लिक करें

रिजेकटेड (Rejected)भुगतान का समाधान देखने के लिए क्लिक करें

Table 4.1. पंजीकरण से पहले और बाद में होने वाले बहिष्करण (Exclusion) और उनके समाधान

क्र. सं	मुद्दा	संबंधित हितधारक	समाधान प्रक्रिया	समाधान में आसानी का हमारा अनुमान
1	पेंशन को गलत कारणवश बंद कर देना	बीडीओ एवं जिला	व्यक्ति को मुखिया, पंचायत सेवक द्वारा सत्यापित प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ स्व-घोषणा पत्र ब्लॉक में जमा करना होगा	कठिन (बोझिल और आमतौर पर ब्लॉक/डिवीजन तक यात्रा की आवश्यकता होती है)
2	पेंशन भुगतान अस्वीकृत होना या डायवर्ट भुगतान होना	बैंक, सीएससी, बीडीओ	किसी दिए गए बैंक खाते के साथ केवाईसी और एनपीसीआई मैपिंग सुनिश्चित करें। बैंक विवरण और आधार विवरण के साथ ब्लॉक पर आवेदन जमा करें।	कठिन (महंगा, थकाऊ और समय लेने वाला। समाधान प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है. बैंक/सीएससी और ब्लॉक तक यात्रा की आवश्यकता)
3	पेंशन बहाल (दुबारा शुरू) हो गई लेकिन पुराना बकाया राशि नहीं मिला	पंचायत, ब्लॉक, जिला, ऑनलाइन पोर्टल	पासबुक या पुराने भुगतान के सूची के साथ शिकायत जमा करें	मध्यम (जागरूकता और ब्लॉक तक यात्रा की आवश्यकता)

4	जाति प्रमाण पत्र नहीं है	पंचायत, बीडीओ और जिला	पहचान प्रमाण, पता प्रमाण पत्र, मुखिया द्वारा खतियान सत्यापन की आवश्यकता है	कठिन (बोझिल और आम तौर पर भूमि रिकॉर्ड जैसे खतियान की आवश्यकता होती है)
5	आयु प्रमाण पत्र नहीं है	पंचायत, सीएससी, बीडीओ	वैध आयु प्रमाण जैसे वोटर आइडी बनवाने के लिए पैन, जन्म प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड आदि जैसे पहचान प्रमाण का उपयोग करें या अन्य आईडी में सुधार के लिए सही आयु वाले प्रमाण दस्तावेज का उपयोग करें।	कठिन (थकाऊ और समय लेने वाला, पहचान प्रमाण में सुधार कैसे करें की जानकारी होनी चाहिए, जिला/सीएससी, आधार कार्यालय की यात्रा आवश्यकता)
6	मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं है	पंचायत, ब्लॉक, एसडीओ	आवासीय प्रमाण पत्र , रिश्ते का प्रमाण, मृत्यु का सही स्थान, तारीख और समय बताते हुए एक ऐफिडेविट जमा करें।	कठिन (ऐफिडेविट प्राप्त करना बोझिल है और आमतौर पर ब्लॉक/डिवीजन की यात्रा की आवश्यकता होती है)
7	विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं है	पंचायत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), जिला चिकित्सा अधिकारी (डीएमओ)	जिला अस्पताल या गांव/पंचायत स्तर पर शिविरों से जांच कराकर मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करें।	कठिन (जागरूकता और जिला अस्पताल तक की यात्रा की आवश्यकता है, एक से अधिक दौरे)
8	पहचान प्रमाण पत्र नहीं है	पंचायत, सीएससी, बीडीओ	वैध आयु प्रमाण पत्र जैसे वोटर आईडी बनवाने के लिए पैन, जन्म प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड, राशन कार्ड आदि जैसे पहचान प्रमाण का उपयोग करें। यदि किसी के पास कोई पहचान प्रमाण नहीं है तो मुखिया से सत्यपान प्रमाण पत्र प्राप्त करें	कठिन (थकाऊ, आईडी कैसे बनवाएं इसकी जानकारी हो, सीएससी, आधार कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय तक की यात्रा की आवश्यकता, एक से अधिक दौरे)

9	व्यक्तिगत बचत बैंक खाता नहीं है	सीएसपी/बीसी प्वाइंट, बैंक	पते के प्रमाण के साथ पहचान प्रमाण जमा करके एक नया खाता खोलें। आधार केवल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक है।	मध्यम (जागरूकता और बैंक, सीएसपी/बीसी तक यात्रा की आवश्यकता, एक से अधिक दौरे)
10	'निराशृत महिला' होने का प्रमाण नहीं है	पंचायत, ब्लॉक, एमपी/एमएलए/ ग्रुप ए राजपत्रित अधिकारी	स्व-घोषणा आवेदन जमा करें और 'निराश्रित' होने का सत्यपान प्रमाण पत्र प्राप्त करें	कठिन (जागरूकता और ब्लॉक/पंचायत कार्यालय तक यात्रा की आवश्यकता)

4.3 अगर किसी का पेंशन बंद हुआ है तो उसको MIS पर कैसे देखे?

गलत कारन से पेंशन बंद/**WRONGFUL DISCONTINUATION** होने के तीन कारन हो सकते है - मृत्यु घोषित होना, अयोग्य होना या पलायन। अयोग्य दो कारन से हो सकते है- एक से अधिक पेंशन में नाम होना, पुनर्विवाह या कोई प्रमाण पत्र का न होना। पलायन दो तरीके की होती हैं - कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए।

पेंशन बंद होने का कारण जानने के लिए पहले जैसे **CHAPTER 2** पॉइंट **3** में दिखाया हैं वैसे ही पेंशन धारक की जानकारी निकाले।

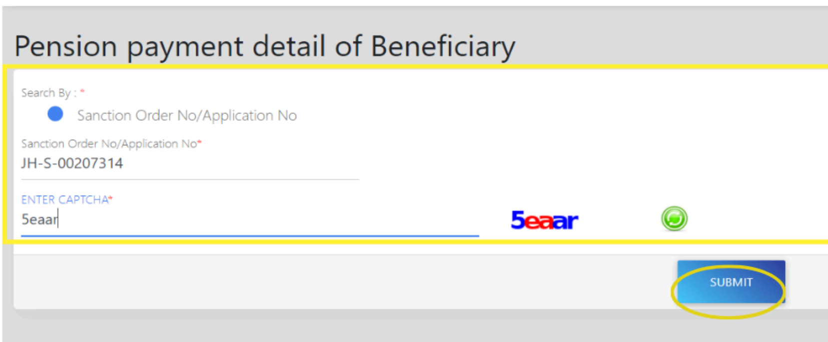

Pension payment detail of Beneficiary

Search By : *

Sanction Order No/Application No

Sanction Order No/Application No*

JH-S-00207314

ENTER CAPTCHA*

5eaar

5eaar

SUBMIT

यहाँ उधाहरण के लिए पेंशन **ID JH-S-00207314** भरके **GARU** ब्लॉक के **KARWAI** पंचायत के **RAMLKHIYA DEVI** के पेंशन की जानकारी दिखाई गई हैं।

यहाँ पेंशन प्राप्त होने का आखरी महीना दिखेगा। अगर यहाँ वर्तमान महीना दिखे तो पेंशन चालू है। अगर वर्तमान महीने से पहले है तो संभव है की पेंशन अस्वीकार/**REJECT** हो रहा है। जैसे यहाँ आखिरी पेंशन **FEBRUARY 2024** पर आया था। मतलब पेंशन चालू है।

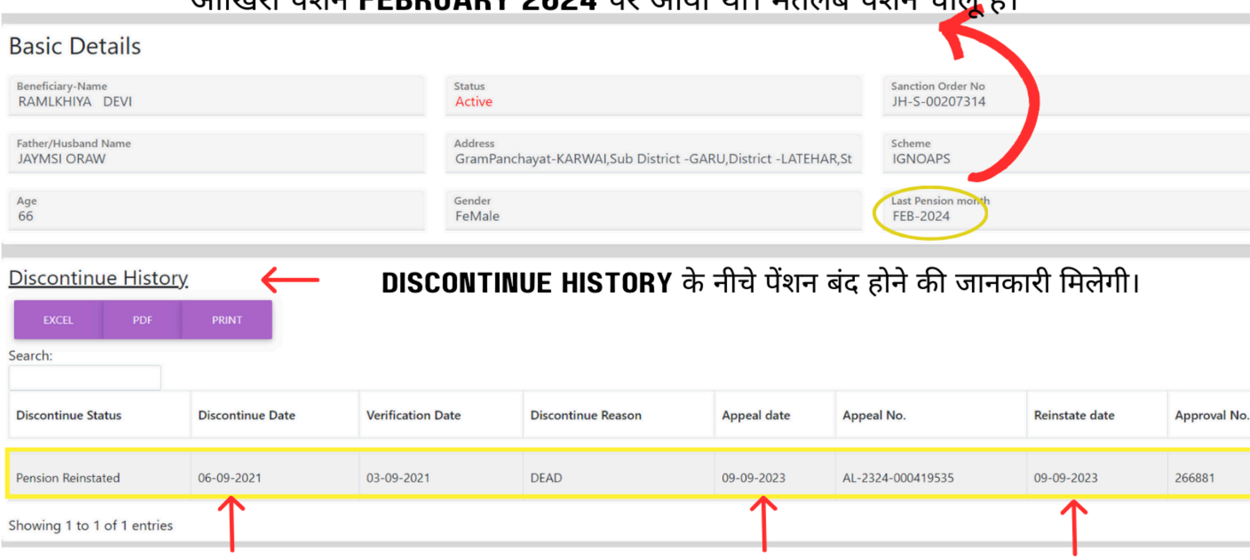

Basic Details

Beneficiary-Name: RAMLKHIYA DEVI	Status: Active	Sanction Order No: JH-S-00207314
Father/Husband Name: JAYMSI ORAW	Address: GramPanchayat-KARWAI,Sub District -GARU,District -LATEHAR,St	Scheme: IGNOAPS
Age: 66	Gender: FeMale	Last Pension month: FEB-2024

Discontinue History

DISCONTINUE HISTORY के नीचे पेंशन बंद होने की जानकारी मिलेगी।

EXCEL PDF PRINT

Search:

Discontinue Status	Discontinue Date	Verification Date	Discontinue Reason	Appeal date	Appeal No.	Reinstate date	Approval No.
Pension Reinstated	06-09-2021	03-09-2021	DEAD	09-09-2023	AL-2324-000419535	09-09-2023	266881

Showing 1 to 1 of 1 entries

जैसे यहाँ मृत्यु घोषित होने के कारन **06-09-2021** पर पेंशन बंद हो गयी थी।

लेकिन यह कारण गलत होने पर **09-09-2023** पर फिरसे पेंशन चालू करने की आवेदन की गई।

उसी दिन पेंशन चालू कराया गया।

अयोग्यता के उधाहरण के लिए यहाँ दो पेंशन धारक की जानकारी दिखाई गई है।
यहाँ पेंशन ID **JH-S-07053221** भरके **GARU** ब्लॉक के **KOTAM** पंचायत के **SUMANTI DEVI** के पेंशन की जानकारी दिखाई है। इनका पेंशन बंद **/DISCONTINUED** दिख रहा है।

Basic Details

Beneficiary-Name SUMANTI DEVI	Status POST_DISCONTINUED	Sanction Order No JH-S-07053221
Father/Husband Name ANUJ BRIJIYA	Address GramPanchayat-KOTAM,Sub District -GARU,District -LATEHAR,S	Scheme AJJPY
Age 31	Gender FeMale	Last Pension month JAN-2023

Discontinue History

इनका आखिरी पेंशन **JANUARY 2023** को आया था।

EXCEL PDF PRINT

Search:

Discontinue Status	Discontinue Date	Verification Date	Discontinue Reason	Appeal date	Appeal No.
Pension Discontinued	06-02-2023	04-02-2023	INELIGIBLE-DUPLICATE RECORD		

DUPLICATE RECORD का मतलब है एक से अधिक पेंशन होने पर इनका पेंशन **06-02-2023** पर बंद कर दिया गया है।

यहाँ पेंशन ID **JH-S-07365713** भरके **GARU** ब्लॉक के **KARWAI** पंचायत के **RINKU KUMARI** के पेंशन की जानकारी दिखाई है। इनका पेंशन बंद/**DISCONTINUED** दिख रहा है।

Basic Details

Beneficiary-Name RINKU KUMARI	Status POST_DISCONTINUED	Sanction Order No JH-S-07365713
Father/Husband Name BUDHAN BHUIYA	Address GramPanchayat-KARWAI,Sub District -GARU,District -LATEHAR,St	Scheme SVNSPY
Age 17	Gender FeMale	Last Pension month FEB-2023

Discontinue History

इनका आखिरी पेंशन **FEBRUARY 2023** को आया था।

EXCEL PDF PRINT

Search:

Discontinue Status	Discontinue Date	Verification Date	Discontinue Reason	Appeal date	Appeal No.
Pension Discontinued	15-02-2023	14-02-2023	INELIGIBLE- IN VERFICATION		

IN VERIFICATION का मतलब हैं की किसी प्रमाण पत्र के न होने पर या **40%** से कम दिव्यांगता के वजह से **15-02-2023** पर पेंशन बंद कर दिया गया है।

पलायन के उधाहरण के लिए यहाँ यहाँ पेंशन ID **JH-S-02156648** भरके **BARWADIH** ब्लॉक के **CHHIPADOHAR** पंचायत के **MINA DEVI** के पेंशन की जानकारी दिखाई गई है। इनका पेंशन बंद दिख रहा है।

Basic Details

Beneficiary-Name MINA DEVI	Status POST_DISCONTINUED	Sanction Order No JH-S-02156648
Father/Husband Name TEJU PRAHIYA	Address GramPanchayat-CHHIPADOHAR,Sub District -BARWADIH,District	Scheme AJJPY
Age 55	Gender FeMale	Last Pension month OCT-2021

Discontinue History

इनका आखिरी पेंशन **OCTOBER 2021** को आया था।

EXCEL PDF PRINT

Search:

Discontinue Status	Discontinue Date	Verification Date	Discontinue Reason	Appeal date	Appeal No.
Pension Discontinued	02-11-2021	02-11-2021	MIGRATED TEMPORARILY		

MIGRATED TEMPORARILY का मतलब हैं की पलायन के वजह से **02-11-2021** पर पेंशन बंद कर दिया गया हैं। यहाँ **MIGRATED PERMANENTLY** भी लिखा हो सकता हैं।

CHAPTER 5: शिकायत निवारण

5.1 RTGS Act, 2011

प्रशासनिक सुधार और जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राज्य सरकार। झारखंड राज्य सेवाओं की गारंटी कानून के तहत राज्य द्वारा प्रदान की गई सेवाएं एक समय सीमा में प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि निर्धारित समय सीमा के तहत सेवाएं नहीं की जाती हैं, नामित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ दंड/जुर्माना का प्रावधान है।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए झारखंड राज्य सेवाओं की गारंटी कानून (RTGS ACT) सभी आवश्यक प्रावधान प्रदान करता है और उसी को अधिनियमित करना इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है| यह कानून में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं:

Table 5.1: गारंटी कानून में सामाजिक सुरक्षा पेंशन संबंधी सेवाएँ

पेंशन संबंधी सेवाएँ	नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी	नियत समय सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	अपील के निपटान के लिए समय सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	अपील के निपटान के लिए समय सीमा
विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति	ग्रामीण क्षेत्र में BDO और शहरी क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी (CO)	21 दिन	SDO	15 दिन	उपायुक्त Deputy Commissioner	15 दिन
सिफारिश प्राप्त करने के बाद आवश्यक जांच और निर्णय	CO	21 दिन	SDO	15 दिन	प्रमंडलीय आयुक्त Divisional Deputy Commissioner	15 दिन

जैसा कि **RTGS** अधिनियम में उल्लेख किया गया है, सभी शिकायतों के लिए एक अपील प्रक्रिया है	मुखिया द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को BDO द्वारा रद्द किया जा सकता है, उनके निर्णय को जिला अधिकारियों द्वारा रद्द किया जा सकता है। 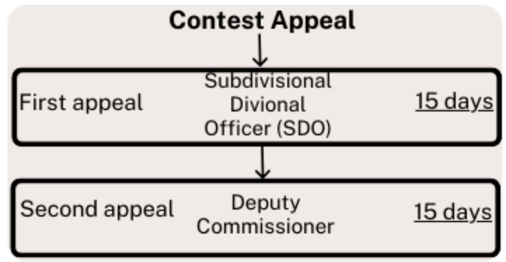
अपील प्रक्रिया के अलावा, पेंशन मामलों से संबंधित शिकायत **CPGRAMS** के माध्यम से भी उठाई जा सकती है **CPGRAMS:** केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली	One can lodge their grievance on CPGRAMS - https://pgportal.gov.in/ The time limit for disposal of grievances in CPGRAMS is **30 days.** Log in or register on the portal, then go to Grievance ---> Lodge Public Grievance. The grievance should be addressed to the Ministry of Rural Development. CPGRAMS पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं - https://pgportal.gov.in/ में शिकायतों के निपटान की समय सीमा 30 दिन है। पोर्टल पर लॉग इन या रजिस्टर करें, विस्तार से शिकायत दर्ज करने के तरीके नीचे देखें शिकायत ग्रामीण विकास मंत्रालय को संबोधित की जानी चाहिए।
जन सुनवाई , ग्राम सभा/ सचिवालय या व्यक्तिगत स्तर पर शिकायत दर्ज करने के लिए कुछ मसौदे	Grievance Formats

Fig 5.1 CPGRAMS में शिकायत की जीवनशेलि

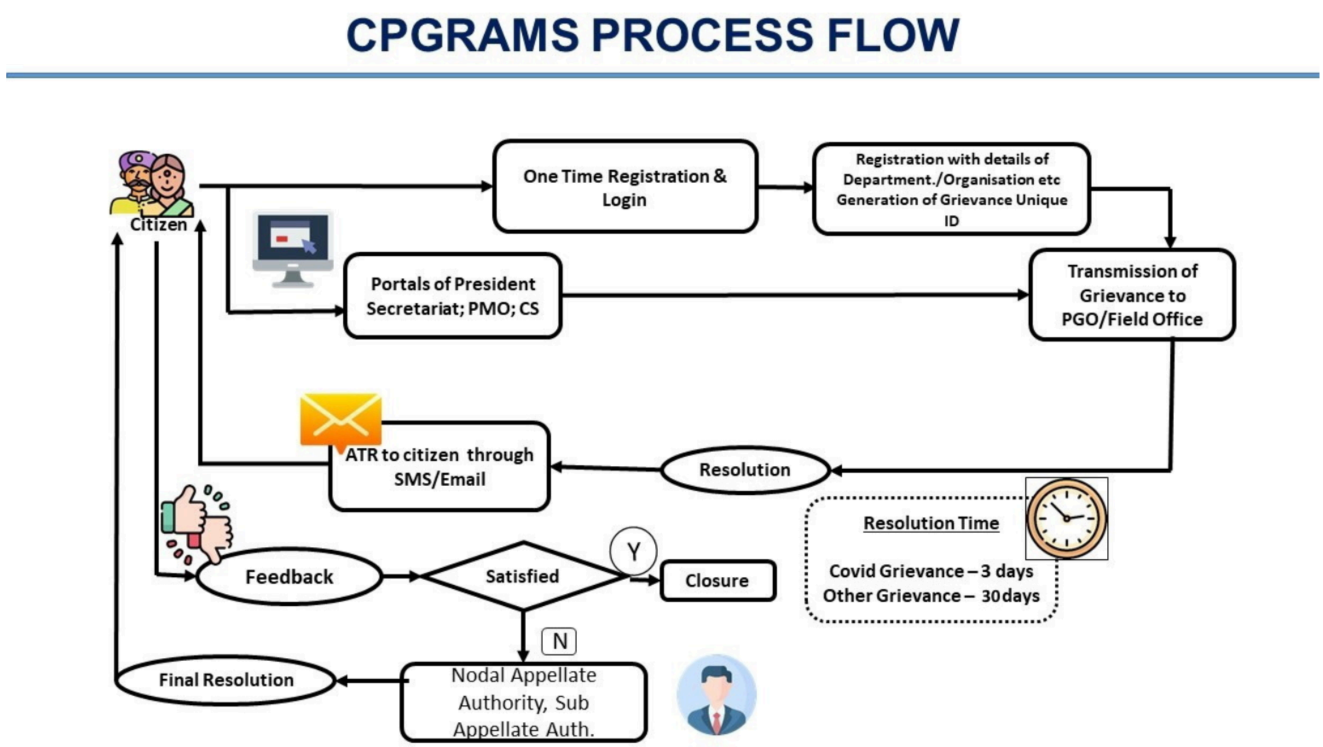

Source: CPGRAMS portal

5.2 CPGRAMS को नेविगेट कैसे करें? और शिकायत कैसे दर्ज करें?

WWW.GOOGLE.CO .IN पर NSAP लिखिए और गूगल सर्च पर क्लिक करें

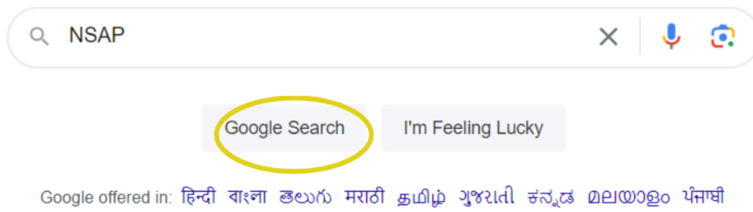

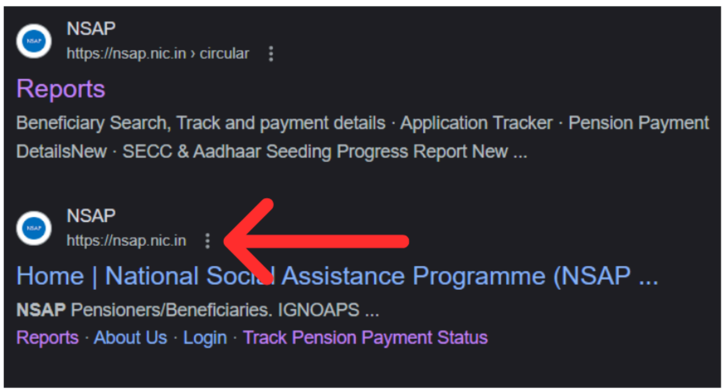

फिर इस वेबसाईट पर क्लिक करें **HTTPS://NSAP.NIC.IN/**

शिकायतनिवारण पर क्लिक करें

OK दबाए

CPGRAMS पोर्टल खुल जाएगा। **WWW.GOOGLE.COM** पर आप सीधा **CPGRAMS** भी सर्च कर सकते हैं।

अकाउंट बनाने के लिए पहले **SIGN IN** पर क्लिक करें

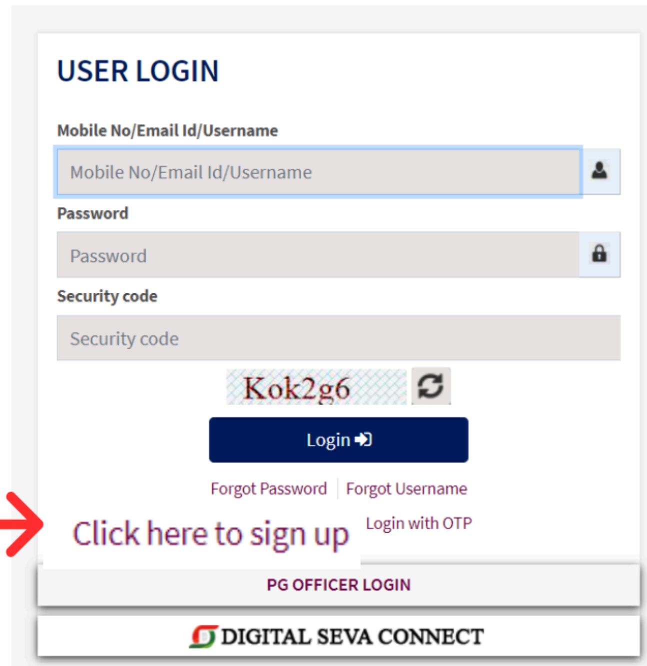

साइन उप करने के लिए यहाँ क्लिक करें

* चिन्ह दिए हुए सभी विवरण दर्ज करे और **SUBMIT** पर क्लिक करें

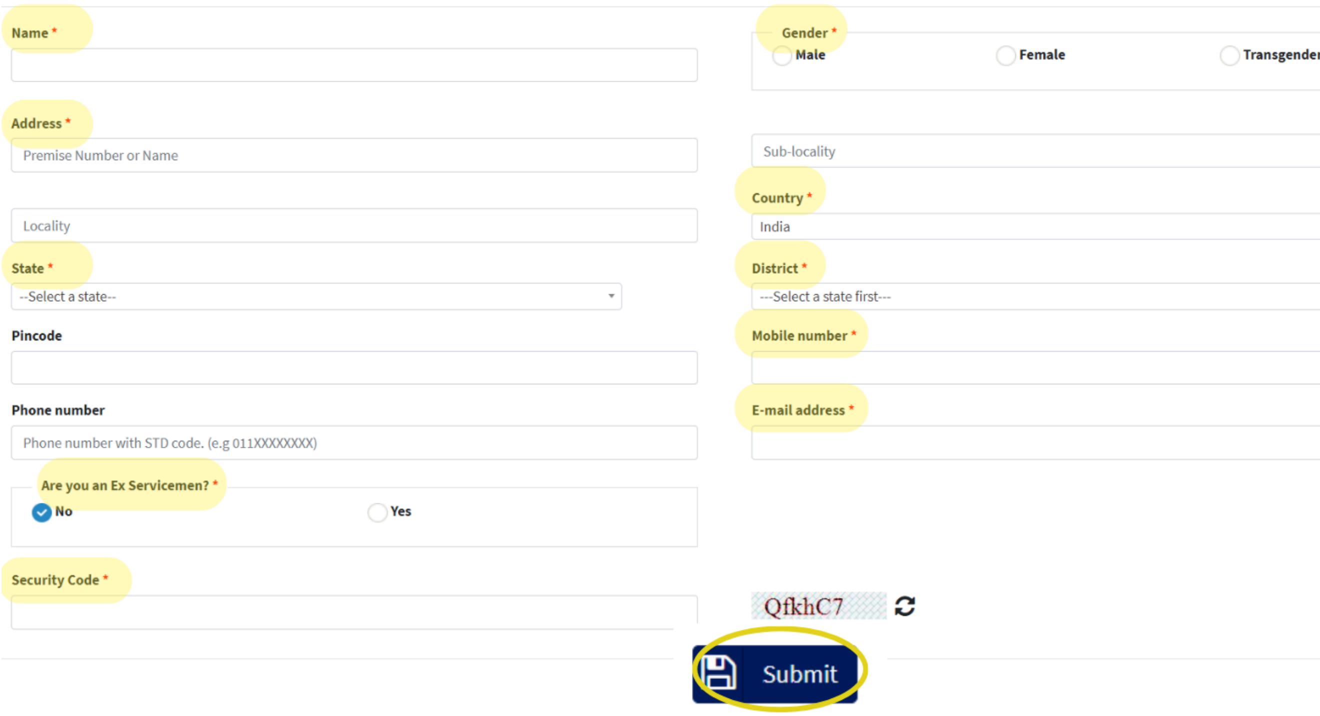

मोबाईल नंबर, **PASSWORD** और **SECURITY CODE** भरके **LOGIN** पर क्लिक करें।

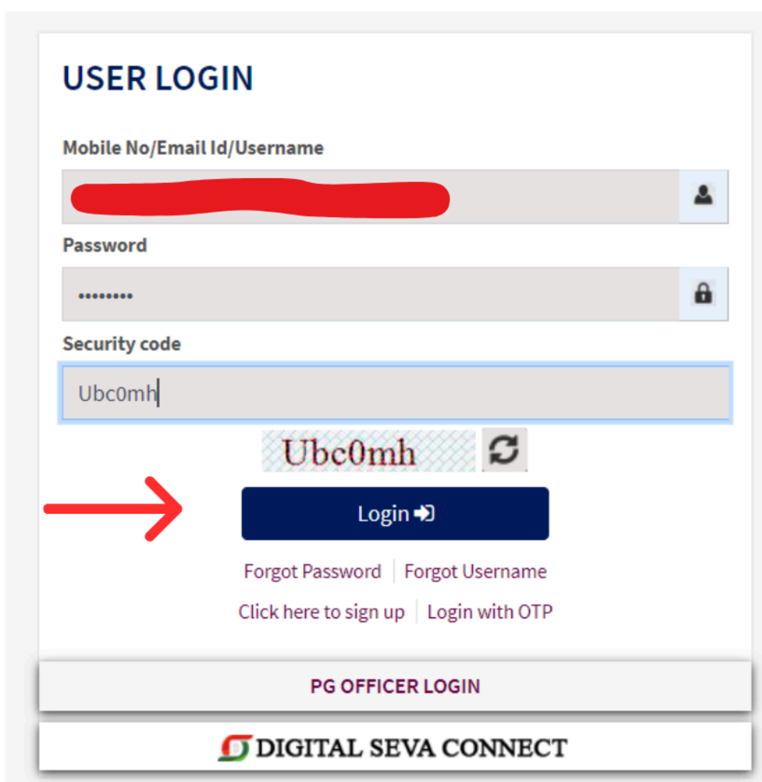

LODGE PUBLIC GRIEVANCE पर क्लिक करें ।

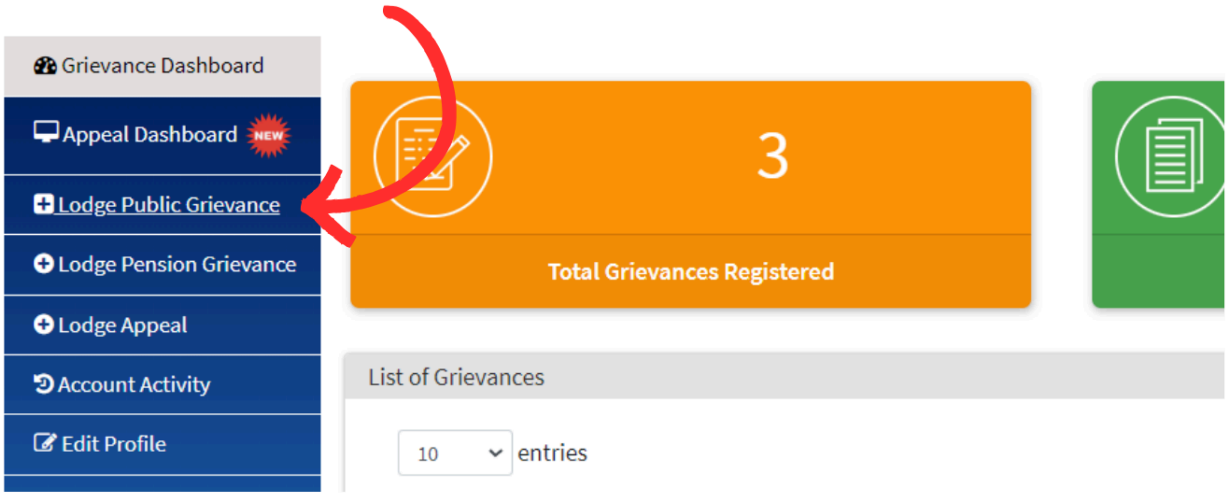

सुनिश्चित करें की आपकी शिकायत इन पाँच विषय से संबंधित नहीं हैं।

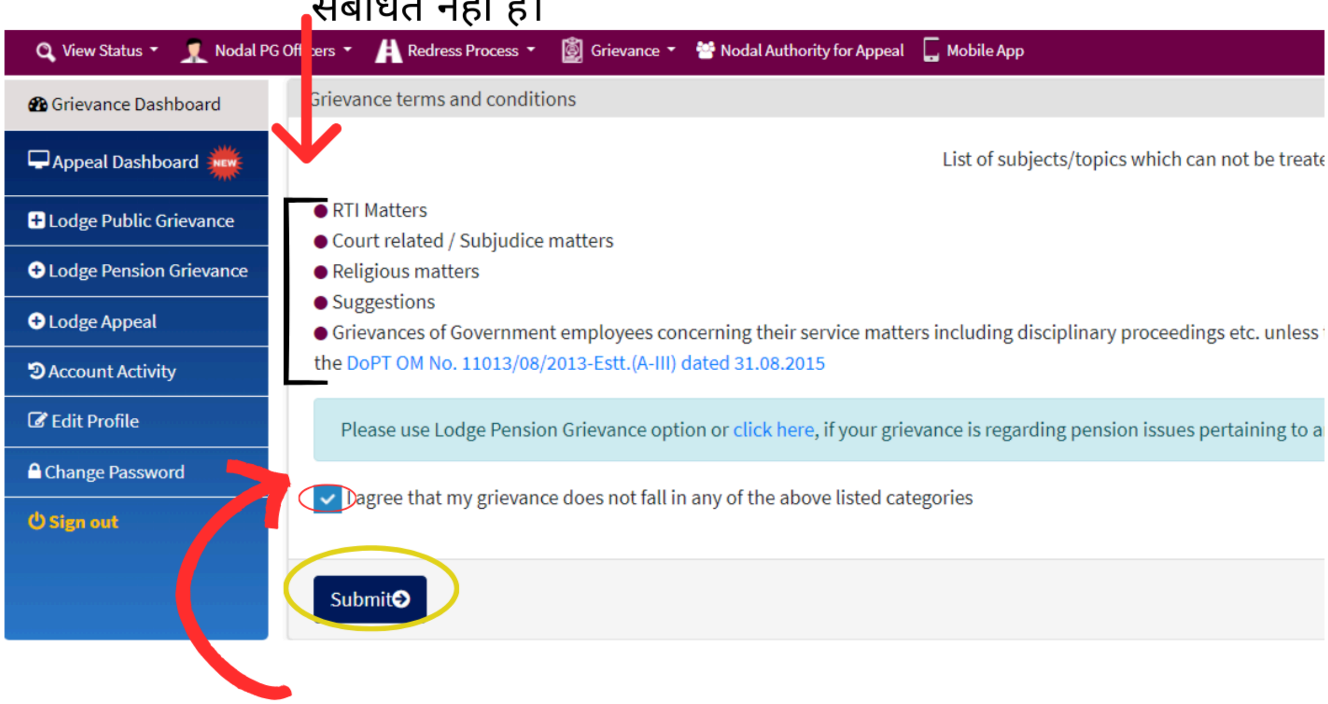

यहाँ क्लिक करके **SUBMIT** पर क्लिक करें।

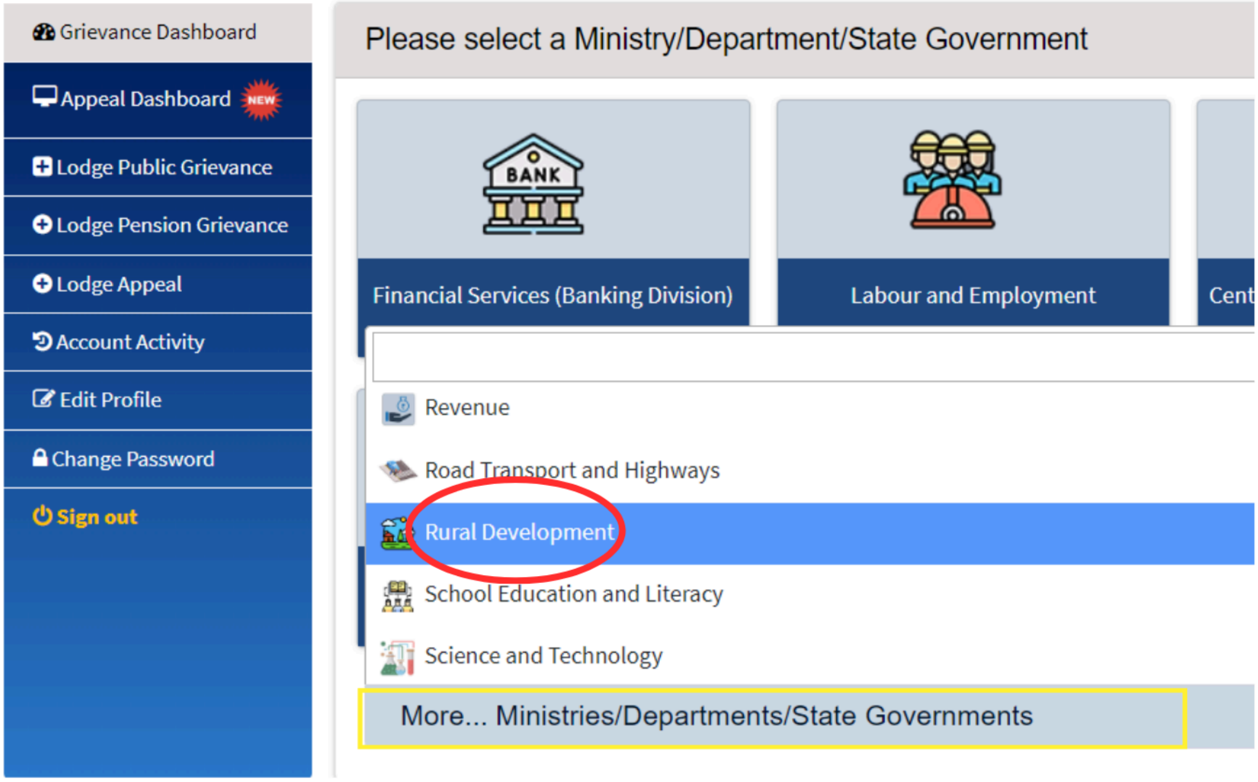

पेंशन स्कीम '<u>ग्रामीण विकास मंत्रालय</u>' के दायरे में आता हैं
तो **RURAL DEVELOPMENT** का चयन करें।

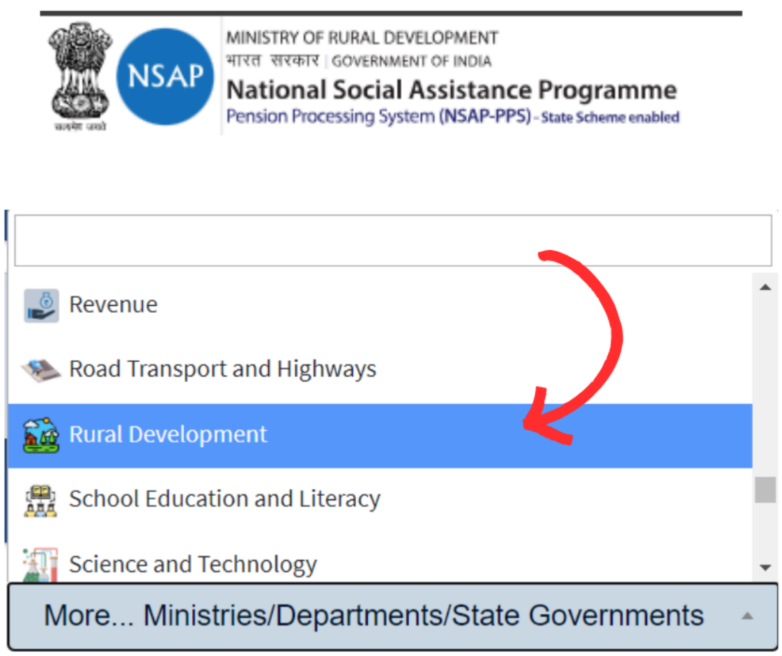

नीचे दिखाए हुए तरीके से अपने पेंशन के अनुसार विवरण भरें।

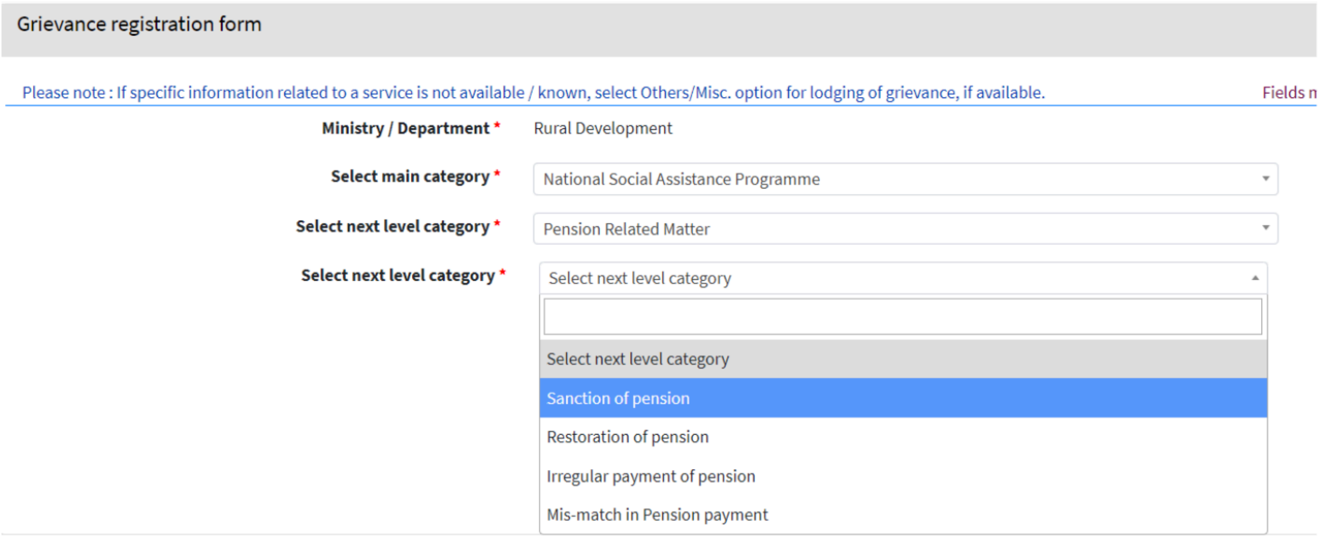

Grievance registration form

Please note : If specific information related to a service is not available / known, select Others/Misc. option for lodging of grievance, if available. Fields n

Ministry / Department * Rural Development

Select main category * National Social Assistance Programme

Select next level category * Pension Related Matter

Select next level category * Select next level category

Select next level category

Sanction of pension

Restoration of pension

Irregular payment of pension

Mis-match in Pension payment

* चिन्ह दिए हुए सभी विवरण दर्ज करे। अपना नाम, पंचायत, ज़िला इत्यादि जानकारी साठीक भरें वरना निवारण न होने की संभावना हैं।

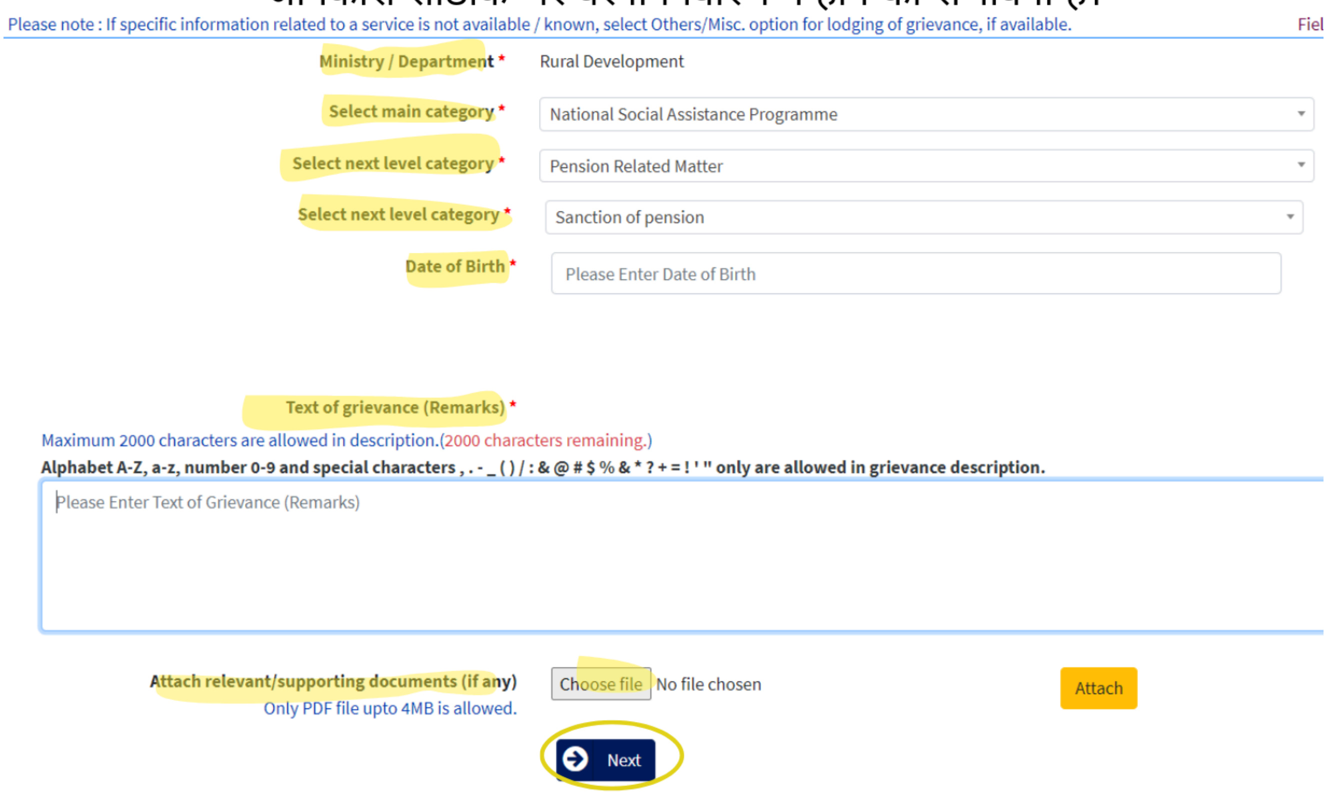

Please note : If specific information related to a service is not available / known, select Others/Misc. option for lodging of grievance, if available. Fiel

Ministry / Department * Rural Development

Select main category * National Social Assistance Programme

Select next level category * Pension Related Matter

Select next level category * Sanction of pension

Date of Birth * Please Enter Date of Birth

Text of grievance (Remarks) *

Maximum 2000 characters are allowed in description.(2000 characters remaining.)

Alphabet A-Z, a-z, number 0-9 and special characters , . - _ ( ) / : & @ # $ % & * ? + = ! ' " only are allowed in grievance description.

Please Enter Text of Grievance (Remarks)

Attach relevant/supporting documents (if any) Choose file No file chosen Attach

Only PDF file upto 4MB is allowed.

Next

प्रमाण के लिए **NSAP** पोर्टल से अपने पेंशन की जानकारी **PDF** फॉर्मैट में **CHOOSE FILE** पर क्लिक करके भर सकते हैं। फिर **NEXT** पर क्लिक करें।

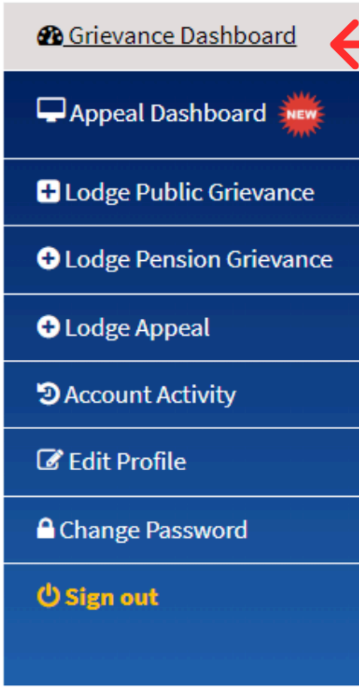

दर्ज की हुई शिकायत देखने के लिए **GRIEVANCE DASHBOARD** पर क्लिक करें

दर्ज की हुई शिकायत कुछ इस प्रकार दिखेगी।

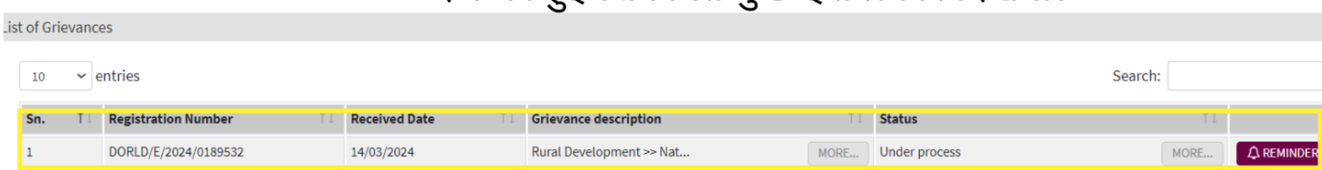

MORE पर क्लिक करके शिकायत के विवरण देख सकते है

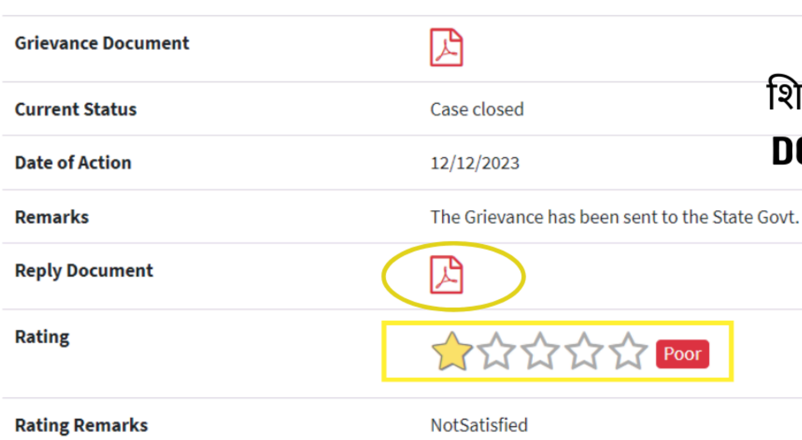

शिकायत का उत्तर आ जाए तो **REPLY DOCUMENT** पर जाके देखे। समाधान से संतुष्ट न हो तो **POOR** रेटिंग दे

POOR रेटिंग देने पर **GRIEVANCE DASHBOARD** पर वापस जाएँ तो यह चिन्ह दिखेगा